

dk; kly; ftyk i pk; r] Xokfy; j ¼e-i z½

I wuk dk vf/kdkj vf/kfu; e 2005

fooj.k i fLrdk@gLri fLrdk

¼esuy½

1-1 Information & Public Access Act, 2005

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के क्रियाकलाप में पारदर्शिता और जबाबदेही उन्नत करने के लिये लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन नागरिकों की सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग का गठन तथा सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करने के लिये तथा उससे सम्बद्ध विषयों या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये अधिनियम बनाया गया है। जिसके फलस्वरूप यह हस्त-पुस्तिका प्रकाशित की गई है।

1-2 Information & Public Access Act, 2005

- (अ) उद्देशिका में लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हुये यह माना गया है कि संवेदनशील गोपनीयता बनाये रखने के लिये परिरक्षित सूचना/जानकारी को छोड़कर शेष सूचना/जानकारी से नागरिकों को जो सूचना जानकारी चाहते हैं, उन्हें अवगत कराना नागरिकों के प्रति सरकारों तथा उनके माध्यमों का कर्तव्य होगा।
- (ब) पारदर्शिता तथा जवाबदेही नागरिकों के प्रति उनके सरकारों तथा उनके माध्यमों द्वारा बनाये रखने में विकृति/भ्रष्टता भी दूर रह सकेगी तथा जन – विश्वास एवं जनभागीदारी को यथार्थ में प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
- (स) नागरिकों से संबंधित लोकहित के कार्यों में अनावश्यक विलम्ब तथा नौकरशाही का प्रमाद दूर रह सकेगा और शासन तथा उसके माध्यमों द्वारा जनता/नागरिकों के प्रति जवाबदेही होने का अहसास पुष्ट हो सकेगा।
- (द) नागरिकों को भी कानून के दायरे में रहकर अनावश्यक रूप से शासन या उसके माध्यमों को अकारण परेशान करने से आत्मसंयम रखना होगा तथा व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर, राष्ट्रहित में स्वस्थ चिन्तन रखना होगा।

1-3 Information & Public Access Act, 2005

संस्था के अधिकारी एवं कर्मचारी, उद्योग एवं अन्य संभावित नियोक्ता तथा समस्त नागरिक।

1-4 Information & Public Access Act, 2005

- अध्याय – 2 (मैनुअल – 1) :- संलग्न की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य।
- अध्याय – 3 (मैनुअल – 2) :- अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य।
- अध्याय – 4 (मैनुअल – 3) :- कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, निर्देशिका और अभिलेख
- अध्याय – 5 (मैनुअल – 4) :- नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन – प्रतिनिधि से परामर्श।
- अध्याय – 6 (मैनुअल – 5) :- लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण।
- अध्याय – 7 (मैनुअल – 6) :- बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण।

| | | |
|---------------------------|----|--|
| अध्याय – 8 (मैनुअल – 7) | :- | लोक सूचना अधिकारियों के नाम, उपनाम एवं अन्य विशिष्टियाँ। |
| अध्याय – 9 (मैनुअल – 8) | :- | निर्णय लेने की प्रक्रिया। |
| अध्याय – 10 (मैनुअल – 9) | :- | अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका। |
| अध्याय – 11 (मैनुअल – 10) | :- | प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति। |
| अध्याय – 12 (मैनुअल – 11) | :- | प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना) |
| अध्याय – 13 (मैनुअल – 12) | :- | अनुदान / राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति। |
| अध्याय – 14 (मैनुअल – 13) | :- | रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण। |
| अध्याय – 15 (मैनुअल – 14) | :- | कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक / नियम। |
| अध्याय – 16 (मैनुअल – 15) | :- | इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें। |
| अध्याय – 17 (मैनुअल – 16) | :- | सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण। |
| अध्याय – 18 (मैनुअल – 17) | :- | अन्य उपयोगी जानकारियाँ। |

1-5 ifjHkk"kk; a %di ; k gLri fLrdk ea iz; kx dh x; h 'kCnkoyh dks ifjHkkf"kr dj %&

bl e%vy ea tc rd l nHkZ l s vU; Fkk vi f{kr u gks %&

- (अ) l LFkk l s vfHki r g\$ राज्य शासन द्वारा स्थापित कार्यालय जिला पंचायत ग्वालियर।
- (ब) l {ke vf/kdkjh l s vfHki r g\$ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ग्वालियर।
- (स) l {ke l Hkk l s vfHki r g\$ जिला पंचायत साधारण सभा।
- (द) l {ke LFkkbz l fefr l s vfHki r g\$ जिला पंचायत संबंधित विषय स्थाई समिति।
- (ई) l ipuk l s vfHki r g\$ किसी भी प्रारूप में कोई सामग्री जिसमें सम्मिलित है, अभिलेख (रिकार्ड्स), विलेख (दस्तावेजात), मेमोज (ज्ञापन), ई – मेल्स, सम्मलियां राय (ओपीनियन्स), सलाह – परामर्श (एडव्हाइस), प्रेस-प्रकाशनी (प्रेस-रिलीजेज), विज्ञप्तियाँ (सरक्यूलर्स), आदेश, लॉग बुक्स, संविदायें/अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट्स), प्रतिवेदन (रिपोर्ट्स), कागजात (पेपर्स), नमूने (सैम्पल्स), मॉडल्स, डाटा सामग्री जो किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में धारित हो और किसी प्रायवेट निकाय के संबंध में सूचना जिन पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन लोक प्राधिकारी द्वारा पहुंच हो सकती है। (अभिगम्य)।
- (फ) fofgr l s vfHki r g\$ सक्षम अधिकारी के द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित।

(ज) $v\text{fHkys}[k \text{ l s } v\text{fHki} \text{ r } g\text{S}:-$

कोई दस्तावेज, वे पाण्डुलिपियाँ (मेन्यूस्क्रिप्ट) और फाईल, कोई माइक्रोफिल्स और दस्तावेज/विलेख की फैंक्सीमाइल कॉपी, ऐसी माइक्रोफिल्म में प्रस्तुत की गई किसी चित्र/प्रतिमा/मूर्ति/बिम्ब का कोई पुनः प्रस्तुतीकरण/पुनः रचना, कोई अन्य सामग्री जो कम्प्यूटर द्वारा अथवा किसी अन्य उपाय/साधन द्वारा प्रस्तुत की गई।

सूचना का अधिकारी से अभिप्रेत है, ऐसी सूचना का अधिकार जो इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य (अभिगम्य) है जो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर के नियंत्रण में या उसके द्वारा धारित है और इसमें ऐसा अधिकार सम्मिलित है :-

किसी कार्य/कर्म/कृत्य/काम/क्रिया का, दस्तावेजों का या अभिलेखों का निरीक्षण दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट्स लेना, सार संक्षेप लेना या उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियाँ लेना या सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना या जहां ऐसी सूचना का कम्प्यूटर में या किसी अन्य उपाय/साधन द्वारा भण्डारण की गई हो वहां उसको (ऐसी सूचना को) डिस्कैट्स या फ्लोपीज, टेप्स, वीडियो कैसेट्स के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके या प्रिन्ट आउट के माध्यम से प्राप्त करना।

(झ) $r\text{hl jk i } \{k \text{ l s } v\text{fHki} \text{ r } \text{ है, सूचना के लिये अनुरोध करने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति और इसमें कोई लोक अधिकारी भी है।$

1-6 $g\text{Lri } \{L\text{rdk ea l ek; k\text{f} \text{tr fo}^{\text{''}}\text{k; k\text{a ds l } \text{a}^{\text{''}}\text{k ea foLr} \text{r tkudkj h rFkk vU; tkudkfj; k\text{a ds fy; s l } \text{a}^{\text{''}}\text{dZ 0; fDrA}$

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यालय जिला पंचायत ग्वालियर।

1-7 $g\text{Lri } \{L\text{rdk ea mi yC/k tkudkj h ds vfrfjDr l } \text{puk i klr djus dh fof/k , oa }^{\text{''}}\text{kYdA}$

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यालय जिला पंचायत ग्वालियर सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क सम्बन्धी जानकारी का परिशिष्ट .. पर अवलोकन करें।

v/;k; & 2 ¼eSuqvy & 1½

laxBu dh fof'kf"V;kj] d`R; ,oa drZO;

1.1 Fkk dk mnns' ; %&

2.1 जिला पंचायत, ग्वालियर एक पंजीकृत संस्था है, जो भारत शासन, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार ग्रामीण विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं का संचालन करती है। संस्था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अधीन कार्यरत है।

निर्वाचित जिला पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा गठित साधारण सभा के अधीन नीति निर्देशों के तहत कार्य करती है। मध्य स्तरीय एवं ग्राम पंचायत स्तरीय पंचायत राज्य संस्थाओं के माध्यम से संचालित केन्द्र एवं राज्य परिवर्तित योजनाओं का संचालन एवं पर्यवेक्षण के दायित्वों का निर्वहन करती है।

2-2 1.1 Fkk dk fe'ku , oafotu %&

संस्था का मुख्य मिशन निर्वाचित जिला पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से केन्द्र एवं राज्य परिवर्तित योजनाओं का सफलतापूर्वक ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वयन समय सीमा में किया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत अधोसंरचना एवं विकास कार्यों की स्थापना करना है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्व-रोजगार एवं आय मूलक गतिविधियों के माध्यम से गरीबी रेखा से ऊपर लाने हेतु अधोसंरचना निर्माण करना है।

2-3 1.1 Fkk dk 1 f{klr bfrgkl , oa bl ds xBu dk i fks= %&

जिला पंचायत म.प्र. राज्य की पंजीकृत संस्था होकर वर्ष से प्रारम्भ की गई थी। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण वर्ष 1981 से प्रारम्भ किया गया था।

भारत शासन, संविधान संशोधन 73 1992 के अनुच्छेद 243 द्वारा लागू त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तहत म.प्र. शासन, पंचायत राज विधेयक 1993 के तहत त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तहत जिला पंचायत कार्यालयों का पुर्नगठन किया गया। जिसके तहत दिनांक 02 अक्टूबर 1997 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का जिला पंचायत कार्यालय में विलय किया जाकर एक कार्यालय जिला पंचायत का गठन किया गया। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को 300 ग्राम पंचायत एवं 4 जनपद पंचायतों में विभाजित किया जाकर कुल 13 जिला पंचायत बार्ड बनाये गये हैं। 13 जिला पंचायत बार्डों से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों द्वारा साधारण सभा का गठन किया जाता है। निर्वाचित सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। पृथक – पृथक 07 “विषय स्थाई समितियों” का गठन किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था 1993 के लागू होने के पश्चात तृतीय निर्वाचन वर्ष 2005 में हुआ है।

2-4 1.1 Fkk ds drD; %&

भारत शासन एवं म.प्र. शासन द्वारा प्रायोजित पंचायत एवं ग्रामीण विकास की निम्न योजनाओं का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण जिला पंचायत ग्वालियर द्वारा किया जाता है:-

1. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
2. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
3. इंदिरा आवास योजना
4. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना
5. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन योजना
6. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम
7. राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन
8. गोकुल ग्राम प्रकल्प
9. राज्य वित्त आयोग
10. समग्र स्वच्छता कार्यक्रम
11. राष्ट्रीय कल्याणकारी हितग्राही मूलक योजनायें
12. पंचायत राज व्यवस्था के तहत अधीनस्थ 13 विभागों में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वय एवं पर्यवेक्षण।

2-5 1. Fkk ds eq; dR; %&

जिला पंचायत, ग्वालियर द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु संचालित विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्तीय कल्याणकारी, विकास एवं हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही की जाती है :-

1. जिला पंचायत की साधारण सभा एवं स्थाई विषय समितियों की नियमित बैठकों का आयोजन।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु केन्द्र शासन तथा राज्य शासन द्वारा प्रायोजित योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिये अपेक्षित समस्त कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आवास एवं रोजगार सुविधा उपलब्ध कराना तथा स्वरोजगार स्थापित करने हेतु उचित वातावरण का निर्माण एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।
5. जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
6. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की वार्षिक कार्य योजना तैयार करना।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचविहीन ग्रामों में पहुंचमार्गों का निर्माण करना।
8. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम का क्रियान्वयन।
9. विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं प्राथमिकता के अनुसार समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण कराना एवं वित्तीय संसाधनों हेतु समय सीमा में कार्यवाही करना।
10. गोकुल ग्राम प्रकल्प के तहत चयनित ग्रामों को आदर्श ग्रामों में परिवर्तित करने हेतु जनसहभागिता आधार पर कार्यवाही करना।

11. राज्य शासन द्वारा समय-समय पर सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर क्रियान्वयन करना।
12. त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था द्वारा पंचायतों को सौंपे गये नीति निर्धारक दायित्वों एवं कर्तव्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

2-6 जिला पंचायत, ग्वालियर द्वारा भारत शासन तथा राज्य शासन द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्रदत्त सेवाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

जिला पंचायत, ग्वालियर द्वारा भारत शासन तथा राज्य शासन द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्रदत्त सेवाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र.सं. | योजना का नाम | विवरण |
|---------|--|---|
| 1 | स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना | ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वरोजगार स्थापित कराना। |
| 2 | सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना | ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना/गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आयसृजक गतिविधियों हेतु सहायता। |
| 3 | इंदिरा आवास योजना/ प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना | ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवारों को नवीन आवास निर्माण तथा आवासों के उन्नयन हेतु सहायता प्रदान करना। |
| 4 | जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन योजना | जिला पंचायत कार्यालय में कार्यरत अमलों के वेतन-भत्ते तथा अन्य कार्यालयीन व्यय की व्यवस्था करना। |
| 5 | मध्याह्न भोजन कार्यक्रम | कक्षा 1 से 5 तक के छात्र - छात्राओं को दोपहर के रुचिकर भोजन की व्यवस्था करना। |
| 6 | राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंध मिशन | ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि कटाव रोकने तथा जल स्तर बढ़ाने हेतु जल संरक्षण के कार्यों का चयनित क्षेत्र में समग्र विकास करना। |
| 7 | गोकुल ग्राम प्रकल्प | चयनित गोकुल ग्रामों में जनसहभागिता एवं जनभागीदारी आधार पर मूलभूत सुविधाओं व अधोसंरचनाओं का निर्माण कर आदर्श ग्राम स्थापित करना। |
| 8 | राज्य वित्त आयोग | ग्रामीण क्षेत्रों में जनभागीदारी आधार पर मूलभूत तथा आधारभूत अधोसंरचनाओं का निर्माण करना। |
| 9 | समग्र स्वच्छता कार्यक्रम | ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन - यापन करने वाले परिवारों को शौचालय निर्माण, महिला स्वच्छता परिसर एवं सामुदायिक/विद्यालय शौचालय का निर्माण कराना। |
| 10 | राष्ट्रीय कल्याणकारी हितग्राहीमूलक योजनायें | योजनान्तर्गत पात्र हितग्राहियों को राष्ट्रीय परिवार सहायता, राष्ट्रीय मातृत्व सहायता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना। |

2-7 I a.Fkk dk iz'kkl fud <kpk %&

ed[; dk; i kyu vf/kdkjh]
f tyk i pk; r] Xokfy; j

f tyk xkeh.k fodkl vfHkdj.k 'kk[kk

f tyk i pk; r 'kk[kk

| | | |
|----|----------------------|----|
| 1 | परियोजना अधिकारी | 03 |
| 2 | लेखाधिकारी | 01 |
| 3 | सहा.परियोजना अधिकारी | 03 |
| 4 | परि.अर्थशास्त्री | 01 |
| 5 | अधीक्षक | 01 |
| 6 | तकनीकी सहायक | 06 |
| 7 | अन्वेषक / ए.एस.ओ. | 01 |
| 8 | स्टेनो | 01 |
| 9 | लेखापाल प्रथम | 04 |
| 10 | सहायक वर्ग 2 | 01 |
| 11 | सहायक वर्ग 3 | 01 |
| 12 | डाटा एन्ट्री ऑपरेटर | 0 |
| 13 | वाहन चालक | 01 |
| 14 | भृत्य | 02 |
| 15 | चौकीदार | 01 |

| | | |
|------|---------------------|----|
| 1 | अधीक्षक | 01 |
| 2 | स्टेनो | 01 |
| 3 | लेखापाल प्रथम | 01 |
| 4 | सूचना सहायक | 01 |
| 5 | सहायक वर्ग 2 | 01 |
| 6 | सहायक वर्ग 3 | 02 |
| 7 | स्टेनो टायपिस्ट | 01 |
| 8 | डाटा एन्ट्री ऑपरेटर | 0 |
| 9 | वाहन चालक | 01 |
| 10 | भृत्य | 02 |
| 11 | चौकीदार | 01 |
| 12 | फर्श | 01 |
| 13 | निज सहायक | 01 |
| ; kx | 14 | |

2-8 l LFkk dh dk; / n{krk c<kus grq tul g; kx dh vi \$kk; %&

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मूलक जल संवर्धन एवं जल संरक्षण के कार्यों में ग्रामवासियों द्वारा जनसहयोग एवं जनभागीदारी का सहयोग। योजना के क्रियान्वयन में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा संचालन एवं पर्यवेक्षण में सहयोग। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अभिवावकों द्वारा जन सहयोग। ग्रामवासियों द्वारा हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अधोसंरचना निर्माण में जनसहयोग एवं जनसहभागिता। निर्मित संरचनाओं के रखरखाव तथा सुरक्षा हेतु क्षेत्रीय नागरिकों का सहयोग।

2-9 tu l g; kx l fuf' rp djus dh fof/k@0; oLFkk %&

ग्रामसभाओं की बैठकों का नियमित आयोजन। समस्त योजनाओं का प्रचार-प्रसार। जनभागीदारी/जनसहयोग देने वाली संस्थाओं को प्रथम वरीयता/सर्वोच्च जन सहयोग करने वाले ग्रामों को विशेष पुरस्कार की व्यवस्था करना।

2-10 tu l okvka ds vuqJo.k , oa f' kdk; rka ds fujkdj .k dh 0; oLFkk %&

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ग्वालियर द्वारा प्रतिदिन साय: 03:00 बजे से 05:00 बजे तक आम जनता से समक्ष भेंटकर समस्याओं के समुचित निराकरण का प्रयास किया जाता है। शिकायतों के निराकरण हेतु कार्यालय में जन शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें एक प्रभारी तथा एक लिपिकवर्गीय कर्मचारी को पदस्थ किया गया है। जन शिकायत प्रकोष्ठ में प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण का प्रयास किया जाकर प्रति सोमवार को टी.एल. बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ग्वालियर द्वारा विस्तृत समीक्षा की जाती है।

2-11 eq; dk; kly; rFkk fofHku Lrjka ij dk; kly; ka ds i rs %&

1. कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, विकास परिसर, थाठीपुर
ग्वालियर (म.प्र.) 474011
2. कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत, मुरार
विकास परिसर, थाठीपुर, ग्वालियर (म.प्र.)
474011 दूरभाष – 2230193
3. कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत, डबरा

- दूरभाष – 07524–222687
4. कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत, बरई
दूरभाष – 07526–228227
5. कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत, भितरवार
दूरभाष – 07525–287300

2-12 dk; kly; [kyus dk l e; %& 10%30 cts ikr%
dk; kly; cln gkus dk l e; %& 05%30 cts l k; %

v/;k; & 3 ¼eSuqvy & 2½

vf/kdkfj;ksa vkSj deZpkfj;ksa dh 'kfDr;kj ,oa drZO;

3-1 ed[; dk; i kyu vf/kdkjh] ftyk i pk; r dks i nRr 'kfDr; ka %&

i z kkl dh;

- 1 अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन-भत्ते, अवकाश तथा अन्य समस्त स्वत्वों की नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करना।
- 2 तृतीय/चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति के सम्पूर्ण अधिकार।
- 3 सीधी भर्ती के कर्मचारियों को नियमानुसार पदोन्नति के सम्पूर्ण अधिकार।
- 4 अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन एवं गोपनीय चरित्रावली पर टीप अंकित करना।
- 5 समस्त अधीनस्थ स्टाफ के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के सम्पूर्ण अधिकार। इसके अतिरिक्त म.प्र. शासन सा.प्र.वि. के ज्ञापन दिनांक 21.02.2000 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तहत अधीनस्थ विभागों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लघु शास्ति देने के सम्पूर्ण अधिकार।

foRrh;

वेतन – भत्ते तथा अन्य भत्ते स्वीकृत करने के सम्पूर्ण अधिकार/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशि रूपये 50.00 लाख तक स्वीकृति के अधिकार। इसी प्रकार निर्माण कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये लाख तक स्वीकृति के अधिकार।

drD;

जिला पंचायत कार्यालय के सुचारु रूप से संचालन हेतु अधीनस्थ स्टाफ के मध्य कार्य विभाजन करना, साधारण सभा/विषय स्थाई समितियों के निर्णयों पर नियमानुसार मतांकन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, विशिष्ट प्रकार के प्रकरणों में मार्गदर्शन प्रदान करना, ग्रामीण एवं क्षेत्रीय विकास हेतु प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों के मध्य समन्वय स्थापित करना।

v/;k; & 4 ¼eSuqvy & 3½

d`R;ksa ds fuoZgu gsrq fu;e] fofu;e] funsZf'kdk vkSj vfHkys[k

4-1 ds fuokzgu grq fu; e] fofu; e] funf'kdk vkj vfHkys[k %&

संस्था प्राधिकरण अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करायें :-

| dz | vfHkys[k dk uke | vfHkys[k dk i xdkj | vfHkys[k dk l f{klr i fjp; |
|----|--------------------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | जिला पंचायत साधारण सभा / स्थाई समिति | बैठक कार्यवाही विवरण | सभा/समितियों की संरचना समितियों का गठन, बैठक कार्यवाही विवरण, कार्य विधि अधिकार/दायित्व/वित्तीय शक्तियाँ। |
| 2 | योजना संबंधी | योजना क्रियान्वयन विवरण | जिला पंचायत द्वारा संचालित रोजगार मूलक हितग्राहीमूलक एवं राष्ट्रीय कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित, योजना विशेष, योजना विशेष की वार्षिक कार्य योजना, वित्तीय स्थिति, भौतिक स्थिति, कार्य विशेष की विस्तृत जानकारी |
| 3 | स्थापना संबंधी | नियम, अभिलेख | अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधी नियम, सेवा पुस्तिका संधारित करना, अवकाश का लेखाजोखा, अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति संबंधी अभिलेख, प्रतिनियुक्ति अधिकारी/कर्मचारियों की स्थापना संबंधी जानकारी |
| 4 | लेखा संबंधी | अभिलेख | अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन-भत्तों एवं अन्य पारिश्रमिक का भुगतान, बजट आवंटन स्वीकृति एवं व्यय से संबंधी नस्तियां, क्रय संबंधी भुगतान की नस्तियां , अंकेक्षण आदि। |
| 5 | क्रय एवं भण्डार | नियम, विनियम | क्रय प्रक्रिया, विज्ञापन सामग्रियों का भौतिक सत्यापन, रखरखाव, विनिष्टीकरण आदि। |

fu; e] fofu; e] vuq's k] funf'kdk vkj vfHkys[k dh i fr dgkwl s i klr dj l drs gA

- जिला पंचायत साधारण सभा एवं स्थाई समितियों की संरचना, नियम वित्तीय एवं प्रशासनिक समितियों की जानकारी पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में विस्तृत अंकित है।
- जिला पंचायत साधारण सभा एवं स्थाई समितियों की बैठक कार्यवाही विवरणों की जानकारी कार्यालय जिला पंचायत ग्वालियर से प्राप्त की जा सकती है।

- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय आवास योजना, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम योजना के दिशा निर्देश, योजना उद्देश्य, क्रियान्वयन विधि, आवंटन व्यवस्था, क्रियान्वयन एजेन्सी आदि विस्तृत जानकारी प्रत्येक योजना की मार्ग दर्शिका में अंकित की गई है। मार्गदर्शिका की प्रति जिला पंचायत कार्यालय ग्वालियर में संबंधित शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
- जिला पंचायत से संचालित समस्त केन्द्र परिवर्तित एवं राज्य शासन की विकास निर्माण, हितग्राही मूलक एवं राष्ट्रीय कल्याणकारी योजनाओं की बजट आवंटन से लेकर योजना क्रियान्वयन परिसम्पत्ति एवं हितग्राही सूची सहित विस्तृत जानकारी जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- स्थापना म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील अधिनियम 1965 एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के अंतर्गत प्रावधानित प्रशासनिक एवं वित्तीय नियम अवलोकन किये जा सकते हैं।
- स्थापना संबंधी विस्तृत जानकारी कार्यालय संबंधित शाखा अभिलेख में संधारित होकर प्राप्त की जा सकती है।
- लेखा केन्द्र परिवर्तित योजना का लेखा संबंधी अभिलेख केन्द्र शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप संधारित किया जाता है। डी आर डी ए प्रशासन नियमों में विस्तृत जानकारी दर्शायी गई है। लेखा संबंधी विस्तृत जानकारी कार्यालय संबंधित शाखा अभिलेख में उपलब्ध है जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

Ø; , oa Hk. Mkj %&

- विभिन्न विभागों द्वारा जिला पंचायत साधारण सभा, विषय स्थाई समितियों एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के प्रदत्त शक्तियों के तहत अनुमोदन संबंधी कार्यवाही की जाती है। सामान्य प्रशासन विभाग एवं पंचायत राज अधिनियम 1993 के अधीनस्थ विभागों के शासनाध्याओं द्वारा जारी नियमों में विस्तृत प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार/कर्तव्य अंकित किये गये। निर्देशों की प्रति कार्यालय जिला पंचायत से प्राप्त की जा सकती है। संबंधित विभागों के जिला कार्यालयों में भी प्रति उपलब्ध है।
- जिला पंचायत कार्यालय ग्वालियर में भण्डार एवं क्रय संबंधी विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला पंचायत ग्वालियर से प्राप्त की जा सकती है।

fu; e] fofu; e] vups'k] funf'kdk vksj vfhkys[k dh i fr dks i klr djus dk 'kq'd ¼; fn dkbz gk½

4.1.1.1 अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिनियम के अधीन सामग्री प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वह सहव्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है 10/- रूपये के नानज्यूडिशियल स्टाम्प के साथ या नगद भुगतान कर उसकी रसीद के साथ स्वयं उपस्थित होकर आवेदन राज्य लोक सूचना अधिकारी, राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

4.1.1.2 राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने पर सूचना की विषय वस्तु की छपाई खर्च या मीडियम या वास्तविक मूल्य जैसा कि उक्त अधिकारी द्वारा नियत किया जाये। नगद या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प से रूप में आवेदक राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास जमा करेगा। आवेदक द्वारा यदि राशि नगद जमा की जाती है तो राज्य लोक सूचना अधिकारी या उनके द्वारा निर्देशित अधिकारी द्वारा उसकी रसीद प्रदाय की जायेगी। ऐसी जमा की गई राशि कोषालय में चालान द्वारा जमा की जायेगी।

4.1.2 धारा – 6 की उपधारा (1) तथा धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने वाला वह व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है तथा स्थिति संबंधित राज्य सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दस रूपये के नाम ज्यूडिशियल स्टाम्प या नगद भुगतान कर उसकी रसीद के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा।

4.1.3.1 अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत जहाँ सूचना की पहुँच छपे हुये (मुद्रित) या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप /फार्मेट में उपलब्ध कराई जाना है, तो ऐसी सूचना का वास्तविक लागत जैसा कि यथास्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाये, नगद या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में ऐसे आवेदक द्वारा जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, ऐसे अधिकारी के समकक्ष जिसे लोक प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाये, निर्देश देने के तीन दिवस के अन्दर जमा करेगा।

4.1.3.2 यदि आवेदक किसी दस्तावेज या अभिलेख का निरीक्षण करना चाहता है तो राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, इस प्रयोजन के लिये अपने अधीनस्थ अधिकारी को नियत करेगा तथा इस प्रयोजन हेतु रूपये 50/- (पचास रूपये मात्र) प्रथम घण्टे या उससे कम समय के लिये /उसके पश्चात प्रति 15 मिनट अथवा उससे कम समय के लिये रूपये 25/- के मान से शुल्क नगद या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में आवेदक, जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं हैं, भुगतान करेगा।

4.1.3.3 यदि आवेदक किसी सामग्री का प्रमाणिक नमूना लेना चाहता है तो राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा उस नमूने का निर्धारित लागत आवेदक ऐसे अधिकारी को, जैसा कि उक्त अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाये, नगद या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप से जमा करेगा।

4.1.3.4 जहाँ ऐसी सूचना का भण्डारण कम्प्यूटर में किया गया है तो ऐसी सूचना के डिस्कट्स या फ्लॉपी या टेप या वीडियो या कैसेट का वास्तविक लागत जैसा कि राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाये, आवेदक द्वारा नगद या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में जमा करेगा।

'kŷd dk foøj .k fuEukuŷ kj gŷ-

- (क) तैयार किये गये या प्रतिलिपि किये गये प्रत्येक (ए-4 आकार) कागज के लिये दो रूपये एवं प्रत्येक (ए-3 आकार) कागज के लिये पांच रूपये।
- (ख) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत कीमत।
- (ग) नमूनों या माडलों के लिये वास्तविक लागत या कीमत
- (घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिये पहले घंटे के लिये रूपये 50/- फीस और उसके पश्चात प्रत्येक पन्द्रह मिनट के लिये पच्चीस रूपये फीस।

/kkjk 7 dh mi /kkjk 1/5 1/2 ds var xr %&

- (क) डिस्कट या फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिये प्रति डिस्कट या फ्लॉपी, पचास रूपये।
- (ख) मुद्रित प्रारूप में दी गई सूचना के लिये ऐसे प्रकाशन के लिये नियम कीमत पर या ऐसे प्रकाशन के उद्धरणों की फोटो प्रति के पृष्ठ के लिये दो रूपये।

vi hy %&

1 ifke vi hy :- यदि कोई व्यक्ति धारा -7 की उपधारा (1) अथवा उपधारा (3) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विनिश्चय प्राप्त नहीं करता है या प्राप्त नहीं होता है अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित है, वह ऐसी कालावधि के व्यतीत होने के तीस दिवस के भीतर अथवा ऐसे विनिश्चय के प्राप्ति के तीस दिवस के भीतर ऐसे अधिकारी को जो लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ हो को अपील, अपील के ज्ञापन के साथ 50/-रूपये (पचास रूपये) के शुल्क या नानज्यूडिशियल स्टाम्प के साथ प्रस्तुत कर सकेगा।

परन्तु यह कि ऐसा अपीलीय अधिकारी तीस दिवस की कालावधि के पश्चात भी अपील सुनवाई के लिये ग्रहण कर सकेगा। यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से अपील समयावधि में प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

2 अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता, सूचना के आधार की विषयवस्तु सक्षम अधिकारी का नाम तथा पदनाम के साथ प्राधिकारी द्वारा सूचना देने अथवा फीस का भुगतान करने के आदेशों का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

3 उपनियम (1) के अंतर्गत अपील प्राप्त किये जाने से तीस दिवस के भीतर या ऐसे विस्तारित कालावधि के भीतर जो अपील फाइल करने की तारीख से कुल मिलाकर पैंतालीस दिवस से अधिक नहीं हो यथास्थिति लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुये निपटाई जायेगी।

4 अपील में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क अपीलार्थी को प्रदाय की जायेगी।

2 **विधि** :- नियम 7 के उपनियम (3) के अधीन विनिष्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को इस तारीख से नब्बे दिवस के भीतर प्रस्तुत की जा सकेगी। जिस तारीख को विनिष्चय पारित हो गया, होना चाहिये अथवा उस तारीख से जब विनिष्चय वास्तविक रूप से प्राप्त किया गया है।

परन्तु यह कि राज्य सूचना आयोग नब्बे दिवस की कालावधि के बीतने के पश्चात अपील सुनवाई के लिये ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से विफल रहा है।

2 राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत अपील के ज्ञापन के साथ रूपये 100/- (रूपये सौ) की फीस नगद या नानज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में जमा करना होगा।

3 राज्य सूचना आयोग द्वारा यथास्थिति लोक प्राधिकारी अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलार्थी को युक्ति युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात अपील प्रस्तुत होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुये अपील का निराकरण करेगा।

4 राज्य सूचना आयोग का विनिष्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

5 राज्य सूचना आयोग के विनिष्चय की प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदाय की जायेगी परन्तु यदि अपीलार्थी आदेश की प्रति डाक द्वारा प्राप्त करना चाहता है तो अपीलार्थी से डाक शुल्क प्राप्त कर तीन दिवस के अंदर भेजी जायेगी।

v/;k; & 5 ¼eSuqvy & 4½

**uhfr fu/kkZj.k o dk;kZUo;u ds IEcU/k esa turk ;k
tuizfrfuf/k;ksa ls ijke'kZ**

5-1 uhfr fu/kkj .k grq %&

जिला पंचायत, ग्वालियर में नीति निर्धारण के संबंध में जनता/जनप्रतिनिधियों की परामर्श/भागीदारी का प्रावधान है।

| क | fo"k; @dR; dk uke | D; k bl fo"k; ea turk dh Hkkxhmkjh vfuok; l gA %gk@ugh½ | turk dh Hkkxhmkjh l fuf' pr djus ds fy; s dh x; h 0; oLFkk |
|---|--|---|---|
| 1 | जिला पंचायत की साधारण सभा एवं विषय स्थाई समितियों | हाँ | पंचायत राज निर्वाचन 2005 द्वारा निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों से जिला पंचायत साधारण सभा एवं विषय स्थाई समितियों का गठन किया जा चुका है। माननीय सांसद एवं माननीय विधायक इसके पदेन सदस्य हैं। |
| 2 | जिला सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति | हाँ | माननीय सांसद (राज्यसभा) की अध्यक्षता में समिति गठित है, जिसमें माननीय सांसद, विधायक, जिला/जनपद पंचायत अध्यक्ष सदस्य हैं। |
| 3 | जिला स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति | हाँ | माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत की अध्यक्षता में समिति गठित है। |

5.2 जिला पंचायत, ग्वालियर द्वारा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधियों की परामर्श/भागीदारी का प्रावधान है। व्यवस्था का विवरण निम्नानुसार है :-

| क. | fo"k; @dR; dk uke | D; k bl fo"k; ea turk dh Hkkxhmkjh vfuok; l gA %gk@ugh½ | turk dh Hkkxhmkjh l fuf' pr djus ds fy; s dh x; h 0; oLFkk |
|----|---|---|---|
| 1 | जिला पंचायत, साधारण सभा द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वार्षिक कार्य योजना तैयार कर नीति निर्धारक निर्णय लिये जाते हैं। | हाँ | निर्वाचित जिला पंचायत के 13 सदस्यों से साधारण सभा गठित है। माननीय सांसद/राज्यसभा सदस्य/विधायक/जनपद अध्यक्ष पदेन सदस्य हैं। प्रतिमाह बैठक आयोजित की जाती है। |
| 2 | जिला पंचायत की सात सामान्य प्रशासन/कृषि/वन/सहकारिता/महिला एवं बाल विकास तथा संचार एवं सम्पर्क समिति द्वारा अपने विभागों से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संचालन एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था का निर्णय लिया जाता है। | हाँ | जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा समितियों का गठन लोकतांत्रिक तरीके से किया गया है। माननीय विधायक एवं सांसद समितियों में पदेन सदस्य हैं। कार्य विभाग समितियों के समक्ष विषय सूची प्रस्तुत करते हैं। |

v/;k; & 6 ¼eSuqvy & 5½

**yksd izkf/kdkjh ds ikl ;k muds fu;a=.k esa miyC/k
nLrkostksa dk izoxksZa ds vuqlkj fooj.k**

6-1 यसद इक/ककjh ds ikl ; k muds fu; .k ea mi yC/k nLRkkostka dk i dxka ds vuq kj fooj .k %&

| dk | i dxl | nLRkost dk uke , oa , d i fDr ea ifjp; | nLRkost i klr djus ds fy; s i fdz k | ?kkVd@ fu; .k/khu |
|----|------------------------------------|---|---|-------------------|
| 1 | स्थापना | सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित नियुक्तियाँ, पदोन्नतियाँ / अवकाश सम्बन्धी प्रकरण, अनुकम्पा नियुक्तियाँ, जानकारियाँ | मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन | प्रभारी अधिकारी |
| 2 | लेखा | वेतनभत्ते, अन्य भत्ते, आयकर, ऑडिट, आवंटन, | --- | प्रभारी अधिकारी |
| 3 | सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना | वार्षिक कार्य योजना तकनीकी / प्रशासकीय स्वीकृति, मूल्यांकन प्रतिवेदन/ पूर्णता/ उपयोगिता प्रमाण पत्र/ सामग्री सेम्पल एवं नस्ती अवलोकन जिला स्तरीय राशि से स्वीकृत कार्यों की जानकारी | मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन | प्रभारी अधिकारी |
| 4 | राज्य वित्त आयोग | वार्षिक कार्य योजना तकनीकी / प्रशासकीय स्वीकृति, मूल्यांकन प्रतिवेदन/ पूर्णता/ उपयोगिता प्रमाण पत्र/ सामग्री सेम्पल एवं नस्ती अवलोकन जिला स्तरीय राशि से स्वीकृत कार्यों की जानकारी | मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन | प्रभारी अधिकारी |
| 5 | स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना | वार्षिक कार्य योजना, अधोसंरचना कार्य से संबंधित प्रपत्र, अनुदान प्रपत्र, गठित एस.एच.जी की जानकारी, रिवाल्विंग फण्ड, प्रशिक्षण तथा प्रगति पत्रक, विशेष परियोजना संबंधी विस्तृत जानकारी | --- | --- |
| 6 | राजीव गांधी जल ग्रहण प्रबंधन | संचालित परियोजनाओं की कार्य योजना, भौतिक प्रगति, वित्तीय प्रगति, कार्य सूची, सामुदायिक | --- | --- |

| | | | | |
|----|---|--|-----------|-----------|
| | | गतिविधियों की जानकारी, प्रगति पत्रक | | |
| 7 | इंदिरा आवास योजना / प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना | वार्षिक कार्य योजना, लक्ष्यों का निर्धारण, प्रगति पत्रक, 3 1/2 जिला स्तर से स्वीकृत आवासों की जानकारी व प्रगति प्रतिवेदन | ---'''--- | ---'''--- |
| 8 | मध्याह्न भोजन कार्यक्रम | विद्यालयों/विद्यार्थियों एवं शालावार प्रदाय राशि/खाद्यांन की जानकारी तथा प्रगति पत्रक | ---'''--- | ---'''--- |
| 9 | गोकुल ग्राम प्रकल्प | चयनित गोकुल ग्रामों की जानकारी, चल रहे निर्माण /विकास कार्यों की जानकारी, प्रोफाइल | ---'''--- | ---'''--- |
| 10 | भण्डार | सामग्री का क्रय एवं प्रदाय, भौतिक स्थिति, डैडस्टाक की जानकारी | ---'''--- | ---'''--- |
| 11 | आवक-जावक शाखा | आवक - जावक पंजी का अवलोकन, स्टाम्प का लेखा | ---'''--- | ---'''--- |

v/;k; & 7 ¼eSuqvy & 6½

cksMZ] ifj"knksa] lfevr;ksa ,oa vU; fudk;ksa dk fooj.k

7.1 जिला पंचायत, ग्वालियर से सम्बद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरण
 ftyk ipk; r Xokfy; j nijHkk"k dækd 0751&2340342
 0751&2446250

I Ec) I LFkk dk iækj %& %ckM] ifj"kn] I fefr] fudk; ; k vU; ½

भारतीय संविधान 73 वां संशोधन अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 243 के तहत म.प्र. पंचायत राज विधेयक 1993 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। जिले के ग्रामीण क्षेत्र को 300 ग्राम पंचायतों 4 जनपद पंचायतों एवं एक जिला पंचायत में विभाजित किया गया है। पंचायत राज व्यवस्था के तहत तृतीय निर्वाचन वर्ष 2005 फरवरी में पदेन हुआ है। जिला पंचायत ग्वालियर का गठन 13 जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा किया गया है। निर्वाचित सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया गया। वर्तमान में अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित था। निर्वाचित सदस्यों द्वारा दिनांक 01.03.2005 को शपथ ग्रहण की जाकर कार्य भार ग्रहण किया गया है। जिला पंचायत की 07 विषय स्थाई समितियों का गठन भी दिनांक 14.09.2005 को किया गया था। सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय

¼ LFkki uk o"K mnns' ; e[; dR; ½

| क्र. | बोर्ड परिषद का नाम | स्थापना वर्ष | उद्देश्य/मुख्य कृत्य |
|------|------------------------|---------------|--|
| 1 | जिला पंचायत साधारण सभा | 01 मार्च 2005 | साधारण सभा की बैठक प्रतिमाह आयोजित की जाती है। जिले के आर्थिक विकास , सामाजिक न्याय , केन्द्र व राज्य शासन द्वारा ग्रामीण विकास हेतु संचालित योजनाओं की वार्षिक कार्य योजना तैयार करना एवं उनके समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना। |
| 2 | सामान्य प्रशासन समिति | 14 मार्च 2005 | जिला पंचायत सामान्य प्रशासन समिति में स्थापना , योजना बजट , लेखा, कराधान, जनशक्ति नियोजन , प्राकृतिक आपदा इत्यादि का क्रियान्वयन किया जाता है। |
| 3 | कृषि समिति | 14 मार्च 2005 | कृषि, भू-राजस्व, पशु पालन, विद्युत शक्ति, मत्स्य पालन , उन्नत कृषि हेतु कार्य योजनाएँ एवं क्रियान्वयन व पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाता है। |

| | | | |
|---|--------------------------------|---------------|--|
| 4 | शिक्षा समिति | 14 मार्च 2005 | शिक्षा, निःशक्त एवं निराश्रितों के सामाजिक कल्याण, अस्पृश्यता निवारण, मद्यत्याग, खेलकूद एवं नई कार्य योजना एवं समन्वित क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था की जाती है। |
| 5 | संचार एवं सम्पर्क समिति | 14 मार्च 2005 | संचार लघु सिचार्ड, ग्रामीण गृह निर्माण तथा अन्य लोक समिति के निर्णय लिये जाते हैं। |
| 6 | सहकारिता एवं उद्योग समिति | 14 मार्च 2005 | सहकारिता, ग्रामोद्योग, कुटीर, उद्योग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, हाट बाजार आदि से संबंधित निर्णय समन्वित क्रियान्वयन व पर्यवेक्षण की कार्यवाही की जाती है। |
| 7 | स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास | 14 मार्च 2005 | लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा ग्रामीण जल प्रदाय एवं निकासी हेतु निर्णय लिये जाते हैं। |
| 8 | वन समिति | 14 मार्च 2005 | सामाजिक वानिकी, एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय उद्यान, लघु वनोपज एवं अन्य वानिकी कार्य के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण की कार्यवाही की जाती है। |
| 9 | जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति | 14 मार्च 2005 | माननीय सांसद, ग्वालियर समिति के अध्यक्ष हैं। समिति द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण संबंधी कार्यवाही की जाती है। |

1.3) 1.3.1) 1.3.1.1) 1.3.1.1.1)

1.3.1.1.1.1) 1.3.1.1.1.1.1) 1.3.1.1.1.1.1.1)

उपरोक्त समितियों वर्णित उद्देश्यों (ग्रामीण विकास) हेतु स्थापित त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तहत जिला पंचायत साधारण सभा एवं समस्त सात विषय स्थाई समितियों की बैठक नियमित रूप से आहुत की जाती है। कार्यवाही विवरण समय सीमा में जारी किये जाकर, लिये गये निर्णयों पर संबंधित विभागों द्वारा यथोचित कार्यवाही की जाती है। गत बैठकों में लिये गये निर्णयों की आगामी बैठक में समीक्षा एवं पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं।

जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक प्रति तिमाही आयोजित की जाती है। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण सम्बन्धी लिये गये निर्णयों पर कार्यवाही वृत्त जारी किया जाकर यथोचित कार्यवाही सम्बन्धित विभाग द्वारा की जाती है।

Lo: i , oa or lku l nL; %-

ftyk ipk; r l k/kkj.k l Hkk

| | | | |
|----|---|-----------|-----------------------|
| 1 | श्रीमती धन्नोबाई | अध्यक्ष | जिला पंचायत, ग्वालियर |
| 2 | श्रीमती बादामी गिरन्द सिंह | उपाध्यक्ष | ----'''---- |
| 3 | श्री आलोक शर्मा | सदस्य | ----'''---- |
| 4 | श्री भारत सिंह कुशवाह | सदस्य | ----'''---- |
| 5 | श्रीमती इमरती बाई | सदस्य | ----'''---- |
| 6 | श्रीमती अरुण देवी किरार | सदस्य | ----'''---- |
| 7 | श्रीमती मीरा रघुकेवट | सदस्य | ----'''---- |
| 8 | श्री बाबूलाल बिलवार | सदस्य | ----'''---- |
| 9 | श्री लक्ष्मण सिंह सौलंकी | सदस्य | ----'''---- |
| 10 | श्री भागीरथ पाल | सदस्य | ----'''---- |
| 11 | श्री सौरभ परिहार | सदस्य | ----'''---- |
| 12 | श्री सुरेन्द्र सिंह कमरिया | सदस्य | ----'''---- |
| 13 | श्री अवतार सिंह बिजौल | सदस्य | ----'''---- |
| 14 | जिले की चारों जनपद पंचायतों के अध्यक्ष | | |
| 15 | माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र गिर्द/डबरा/मुरार | | |
| 16 | माननीय सांसद, क्षेत्र ग्वालियर | | |
| 17 | माननीय राज्यसभा सदस्य, क्षेत्र ग्वालियर। | | |
| 18 | समस्त कार्य विभागों के जिला अधिकारी। | | |

l kekl; i' kkl u l fefr :-

| | | | |
|---|--------------------------|---------|-------------|
| 1 | श्रीमती धन्नोबाई | अध्यक्ष | ----'''---- |
| 2 | श्रीमती बादामी बाई | सदस्य | ----'''---- |
| 3 | श्रीमती अरुणा देवी किरार | सदस्य | ----'''---- |
| 4 | श्री भारत सिंह कुशवाह | सदस्य | ----'''---- |

| | | | |
|---|--------------------------|-------|-------------|
| 5 | श्री लक्ष्मण सिंह सौलंकी | सदस्य | _____”_____ |
| 6 | श्री आलोक शर्मा | सदस्य | _____”_____ |
| 7 | श्री सौरभ परिहार | सदस्य | _____”_____ |

| dz | d'f'k fefr | f'k{k fefr | l p{kj del fefr | l gdfjrk m ksx | LokLF; , oa efgyk dY; k.k fefr | ou fefr |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | श्री भारत सिंह कुशवाह सभापति | श्रीमती बादामी बाई सभापति | श्रीमती अरुणा देवी सभापति | श्री लक्ष्मण सिंह सौलंकी सभापति | श्री आलोक शर्मा सभापति | श्री सौरभ प्रताप परिहार सभापति |
| 2 | श्री आलोक शर्मा सदस्य | श्रीमती अरुणा देवी सदस्य | श्री बाबूलाल बिलवार सदस्य | श्री आलोक शर्मा सदस्य | श्री भारत सिंह कुशवाह सदस्य | श्री बाबूलाल बिलवार सदस्य |
| 3 | श्री भागीरथ पाल सदस्य | श्रीमती मीरा केवट सदस्य | श्री सौरभ परिहार सदस्य | श्री सौरभ परिहार सदस्य | श्री भागीरथ पाल सदस्य | श्रीमती मीरा केवट सदस्य |
| 4 | श्रीमती इमरती देवी सुमन सदस्य | श्री लक्ष्मण सिंह सौलंकी सदस्य | श्री भारत सिंह कुशवाह, सदस्य | श्रीमती मीरा केवट सदस्य | श्री सुरेन्द्र सिंह कमरिया सदस्य | श्रीमती अरुणा देवी सदस्य |
| 5 | श्री सुरेन्द्र सिंह कमरिया सदस्य | श्री बाबूलाल बिलवार सदस्य | श्री भागीरथ पाल | श्री अवतार सिंह बिजौल सदस्य | श्रीमती इमरती देवी सुमन सदस्य | श्री अवतार सिंह बिजौल सदस्य |
| 6 | | श्री सुरेन्द्र सिंह कमरिया सदस्य | | | | |

v/;k; & 8 ¼eSuqvy & 7½

yksd lwpuk vf/kdkfj;ksa ds uke] miuke ,oa vU; fof'kf"V;kj

ftyk i pk; r LFkbbz l febr ds fuokl pr l nL; ka dh l pph :-

8-1 ykd ikf/kdj.k dk uke %& ftyk i pk; r] Xokfy; j

l gk; d ykd l ipuk vf/kdkjh

| dz | uke | i nuke | , l Vh Mh dkM | VsyhQku | | QDI | b&esy | i rk |
|----|----------------|--------------|------------------|---------|---------|---------|-------|-----------------------|
| | | | | vkfQI | fuokl | | | |
| 1 | श्री विजय दुबे | परि. अधिकारी | 0751 | 2446250 | 2344599 | 2340342 | | गोविन्दपुरी, ग्वालियर |

ykd l ipuk vf/kdkjh

| dz | uke | i nuke | , l Vh Mh dkM | VsyhQku | | QDI | b&esy | i rk |
|----|--------------------|----------|------------------|---------|---------|---------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | vkfQI | fuokl | | | |
| | श्री आर.के. मिश्रा | मु.का.अ. | 0751 | 2446250 | 2426271 | 2340342 | Ceozpgwa@mp.nic.in | 31, रेस कोर्स रोड ग्वालियर |

foHkkxh; vi hyW vf/kdkjh

| dz | uke | i nuke | , l Vh Mh dkM | VsyhQku | | QDI | bl & esy | i rk |
|----|-----|--------|------------------|---------|-------|-----|----------|------|
| | | | | vkfQI | fuokl | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------|------|---------|---------|---------|--------------------|
| 1 | श्री राकेश श्रीवास्तव | कलेक्टर | 0751 | 2446300 | 2446200 | 2446301 | गांधी रोड ग्वालियर |
|---|-----------------------|---------|------|---------|---------|---------|--------------------|

**v/;k; & 9 ¼eSuqvy & 8½
fu.kZ; ysus dh izfØ;k**

- 9.1 शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला पंचायत, साधारण सभा, विषय स्थाई समितियों एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रदत्त अधिकारों के तहत निर्णय लिया जाता है।
- 9.2 सामान्यतः संस्था संबंधी समस्त विषयों पर निर्णय लेने हेतु 9.1 के अनुसार कार्यवाही की जाती है। विशेष विवाद की परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी संभागीय आयुक्त तथा सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाता है।
- 9.3 क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति, विज्ञापन, बैठक कार्यवाही वृत्त, जन प्रतिनिधियों, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है।
- 9.4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कलेक्टर संभागीय आयुक्त एवं सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल की संस्तुति से निर्णय लिये जाते हैं।

I j y d e k d & 01

| | | |
|---|--|--|
| A | विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है।) | जिला पंचायत में संचालित ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु नीति निर्धारण। |
| B | दिशा – निर्देश (यदि कोई हो तो) | भारत शासन/राज्य शासन द्वारा समय – समय पर जारी दिशा – निर्देश। |
| C | निर्णय लेने की प्रक्रिया | उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार |
| D | निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत |
| E | निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना | कार्यालय जिला पंचायत, ग्वालियर |
| F | निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें। | संभागीय आयुक्त, तथा सचिव म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल को बैठक कार्यवाही वृत्त की सत्य प्रतिलिपि के साथ आवेदन करें। |

I j y d e k d & 02

| | | |
|---|---|--|
| A | विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है।) | जिला पंचायत की स्थापना, भण्डार तथा लेखाशाखा से संबंधित निर्णय। |
| B | दिशा – निर्देश (यदि कोई हो तो) | भारत शासन/राज्य शासन द्वारा समय – समय पर जारी दिशा – निर्देश। |
| C | निर्णय लेने की प्रक्रिया | उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार |

| | | |
|---|--|--|
| D | निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत |
| E | निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना | कार्यालय जिला पंचायत, ग्वालियर |
| F | निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें। | संभागीय आयुक्त, तथा सचिव म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल से आदेश की सत्य प्रतिलिपि के साथ आवेदन करें। |

I j y d e k a d & 03

| | | |
|---|--|---|
| A | विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है।) | जिला पंचायत के अधीन अन्य विभागों की स्थापना से संबंधित निर्णय। |
| B | दिशा – निर्देश (यदि कोई हो तो) | संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष एवं म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभा द्वारा समय – समय पर जारी दिशा – निर्देश। |
| C | निर्णय लेने की प्रक्रिया | उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार |
| D | निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत |
| E | निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना | कार्यालय जिला पंचायत, ग्वालियर |
| F | निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें। | संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को आदेश की सत्य प्रतिलिपि के साथ आवेदन करें। |

v/;k; & 10 ¼eSuqvy & 9½
vf/kdkfj;ksa vkSj deZpkfj;ksa dh funsZf'kdk

10-1 dk; kly; ftyk i pk; r] Xokfy; j ea i nLFk vf/kdkfj; k@depkfj; ka dh l pph ckcr %&

| क्र. | नाम अधिकारी/कर्मचारी व पद | निवास स्थान का पता | निवास दूरभाष | मोबाइल नम्बर |
|------|--|--|--------------|--------------|
| 1 | श्री आर.के.मिश्रा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी | डी 31 रेसकोर्स रोड ग्वा. | 2446251 | 94251-09437 |
| 2 | श्री विजय दुबे, परियोजना अधिकारी | ए 83 गोविन्दपुरी ग्वालियर | 2344599 | 94251-11995 |
| 3 | श्री अनुपम शर्मा, परियोजना अधिकारी | ललितपुर कालोनी ग्वालियर | | |
| 4 | श्री उजागर सिंह परिहार, परियोजना अधिकारी | | | |
| 5 | श्री गोपाल विन्चुरकर, लेखाधिकारी | | | |
| 6 | श्री श्रीराम शर्मा, सहा. परियोजना अधिकारी | | | |
| 7 | श्री आर.एस. भदौरिया, सहा. परियोजना अधिकारी | बी -19 ठाठीपुर ग्वालियर | | |
| 8 | श्रीमती बन्दना गंगल, सहा.परि. अधिकारी | 292 जीवाजी नगर, ठाठीपुर | | |
| 9 | श्री एस.एस.तोमर, ग्रा.वि.अधिकारी | 57/256 सैनिक कालोनी पिन्टोपार्क मुरार | | |
| 10 | श्री भूपेन्द्र कुमार शंखवार, अधीक्षक | नूरगंज गुरुद्वारे के पास सेवानगर ग्वालियर | | |
| 11 | श्री हरीशंकर शर्मा, स्टेनो | अलीजाबाग कालोनी लश्कर | | |
| 12 | श्री व्ही.के. शुक्ला, स्टेनो | ए/3 न्यू विवेक नगर ठाठीपुर मुरार | | |
| 13 | श्री राजीव श्रीवास्तव, लेखापाल | 9/2 खेड़ापति कालोनी ग्वा. | | |
| 14 | श्री श्याममोहन श्रीवास्तव, ए.डी.ई.ओ. | उदाजी की पायगा लश्कर | | |

| | | | | |
|----|---|---|---------|--|
| 15 | श्री अभय ताम्बे, ए.डी.ई.ओ. | खासगी बाजार लश्कर | | |
| 16 | श्री प्रकाश शर्मा, ए.डी.ई.ओ. | पं.जगनभैया की गली माधौगंज लश्कर | | |
| 17 | श्री के.के. शर्मा, प्रबंधक | न्यू शिवहरे कालोनी मीरानगर के पास मुरार | | |
| 18 | श्री पी.एस.राजपूत, सहायक वर्ग 2 | पानपत्ते की गोठ मानसिंह परिहार का मकान लश्कर | | |
| 19 | श्रीमती भावना जोशी सहा.वर्ग 2 | जनकगंज बक्शी की गोठ लश्कर | | |
| 20 | श्री गोकुल प्रसाद सहा.वर्ग 2 | डभ/25 न्यू विवेक नगर मेला ग्राउण्ड के पास ठाठीपुर | | |
| 21 | श्री जगदीश हयारण सहा. वर्ग 2 | विनय नगर सेक्टर 4 ग्वा. | | |
| 22 | श्रीमती किरण जाधव, सहा. वर्ग 2 | एन/7 ठाठीपुर | | |
| 23 | श्री आजाद खां, सहा. वर्ग 2 | | | |
| 24 | श्री शिववीर सिंह चौहान, सहा. वर्ग 3 | 10 वनखण्डेश्वर कालोनी ठाठीपुर | | |
| 25 | श्री विमलकान्त श्रीवास्तव , सहा. वर्ग 3 | लोहामण्डी ग्वालियर | 2369353 | |
| 26 | श्री राजेन्द्र तारे, सहायक वर्ग 3 | सुभाष नगर तिकोनिया पार्क के पास हजीरा | | |
| 27 | श्री रवि कुमार चतुर्वेदी, सहायक वर्ग 3 | एम.एल.बी. रोड शिन्दे की छावनी | 2421857 | |
| 28 | श्री मुकेश शर्मा, सहायक वर्ग 3 | प्रेम नगर ग्वालियर | | |
| 29 | श्रीमती रिचा भदौरिया, सहायक वर्ग 3 | ए 112 न्यू शिवाजी नगर ठाठीपुर | | |
| 30 | श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक वर्ग 3 | चिनाव अपार्टमेन्ट फ्लेट नं. एफ 37 हरिशंकरपुरम ग्वा. | | |
| 31 | श्री रामजीलाल पंचोली, सहायक वर्ग 3 | अवाडपुरा इन्द्रानगर लश्कर ग्वालियर | | |

| | | | | |
|----|---|--|---------|--|
| 32 | श्री राजेन्द्र कुमार भदकारिया, सहायक वर्ग 3 | खटीक मौहल्ला मुरार | | |
| 33 | श्री अतुल शर्मा , सहायक वर्ग 3 | विनय नगर सेक्टर 4 ग्वा. | | |
| 34 | श्रीमती शशि प्रभा पिप्पल, सहायक वर्ग 3 | ताप्ती अपार्टमेन्ट ठाठीपुर | 2346104 | |
| 35 | श्रीमती बबिता कामठे, सहायक वर्ग 3 | माधोगंज थाने के पीछे लश्कर | 2428945 | |
| 36 | श्री सरफराज आलमबेग, सहायक वर्ग 3 | अवाडपुरा कम्पू लश्कर | 2422785 | |
| 37 | श्री जयप्रकाश गोयल, स्टेनो | सी सी संतोषी लाल मास्टर द्वारिकाधीश कालोनी मुरार | | |
| 38 | श्रीमती जया मजूमदार, डाटा एन्टी ऑपरेटर | 634 जीवाजी नगर पी एण्ड टी कालोनी के पास ठाठीपुर | | |
| 39 | श्री सुरेश चन्द्र वाथम, वाहन चालक | कुम्हरपुरा, मुरार | 2233193 | |
| 40 | श्री कैलाश वाथम, वाहन चालक | त्यागी नगर मुरार | 2459541 | |
| 41 | श्री रामकिशन वाहन चालक | त्यागी नगर मुरार | | |
| 42 | श्री मूलचन्द शाक्य वाहन चालक | घासमण्डी ग्वालियर | | |
| 43 | श्री रामबाबू शर्मा, भृत्य | दानाओली लश्कर | | |
| 44 | श्रीमती सरजूबाई भृत्य | गल्ला कोठार ठाठीपुर | | |
| 45 | श्री एस.के. दिवेकर भृत्य | घोसीपुरा मुरार | | |
| 46 | श्रीमती चन्द्रकला सक्सैना भृत्या | साया अपार्टमेन्ट टैगोर नगर के पास ग्वालियर | | |
| 47 | श्री गनेशराम भृत्य | बापू की गोठ माधो गंज लश्कर | | |
| 48 | श्री रमेश सिंह भृत्य | | | |
| 49 | श्री बनवारी लाल भृत्य | हरीखेड़ा मुरार | | |
| 50 | श्री पूरनचन्द भृत्य | महलगॉव लश्कर | | |
| 51 | श्री जुगल किशोर भृत्य | | | |
| 52 | श्री ओमप्रकाश गहलोत भृत्य | | | |
| 53 | श्री बेदरिया भृत्य | खल्लासीपुरा शिन्दे की छावनी लश्कर | | |
| 54 | श्री मुन्नालाल भृत्य | भारत टाकीज के पास शिन्दे की छावनी लश्कर | | |

| | | | | |
|----|---------------------------|----------------------------|--|--|
| 55 | श्री राजेश माथुर चौकीदार | हुरावली मुरार | | |
| 56 | श्री रामरतन डेयरी परिचायक | घोसीपुरा मुरार | | |
| 57 | श्री कालीचरण फर्राश | कुम्हपुरा मुरार | | |
| 58 | श्री दीपक राव हेल्पर | नादरिया की माता गुढा लश्कर | | |
| 59 | श्री संजय बाथम भृत्य | शिन्दे की छावनी लश्कर | | |

v/;k; & 11 ¼eSuqvy & 10½

**izR;sd vf/kdkjh vkSj deZpkjh }kjk izklr ekfld ikfjJfed
vkSj mlds fu/kkZj.k dh i)fr**

फंलनं दरेकद 11-1

i R; d vf/kdkjh vkj de/kjh }kjk i klr ekfl d i kfj Jfed vkj muds fu/kkZ .k dh i) fr

| I - dZ | uke | i nuke | ekfl d i kfj Jfed | i kfj rks"kd@ i kfj rks"kd HkRrk | i kfj Jfed ds fu/kkZ .k dh i) fr tks fu; ekoyh ea nh xbz gks |
|-----------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|--|--|
| 1 | श्री आर.के. मिश्रा | मुख्य कार्यपालन अधिकारी | 22789 | — | शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार। |
| 2 | श्री विजय दुबे | परियोजना अधिकारी | 19599 | — | —”— |
| 3 | श्री यू.सी. परिहार | —”— | 15930 | — | —”— |
| 4 | श्री अनुपम शर्मा | —”— | 13110 | — | —”— |
| 5 | श्री एन.पी. कोरी | कार्यपालन यंत्री | 19146 | — | —”— |
| 6 | श्री पी.के. उपमन्यु | सहायक यंत्री | 16783 | — | —”— |
| 7 | श्री गोपाल विन्चुरकर | लेखाधिकारी | 13160 | — | —”— |
| 8 | श्री श्रीराम शर्मा | सहायक परियोजना अधिकारी | 15401 | — | —”— |
| 9 | श्री आर.एस. भदौरिया | सहा.परियोजना अधिकारी | 11125 | — | —”— |
| 10 | श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया | उपयंत्री | 12443 | — | —”— |
| 11 | श्री एस.एम. श्रीवास्तव | सहा.विकास विस्तार अधिकारी | 10969 | — | —”— |
| 12 | श्री हरीशंकर शर्मा | स्टेनो | 9278 | — | —”— |
| 13 | श्री भूपेन्द्र शंखवार | लेखापाल | 8226 | — | —”— |
| 14 | श्री राजीव श्रीवास्तव | —”— | 7355 | — | —”— |
| 15 | श्रीमती भावना जोशी | सहायक वर्ग- 2 | 8016 | — | —”— |

| | | | | | |
|----|---------------------------|-------------------------|------|------|------|
| 16 | श्री गोकुल प्रसाद | —''— | 8016 | — | —''— |
| 17 | श्री शिववीर सिंह चौहान | सहायक वर्ग- 3 | 6851 | — | —''— |
| 18 | श्री विमलकांत श्रीवास्तव | —''— | 5672 | — | —''— |
| 19 | श्री राजेन्द्र कुमार तारे | —''— | 5672 | — | —''— |
| 20 | श्री रवि कुमार चतुर्वेदी | —''— | 6346 | — | —''— |
| 21 | श्री मुकेश कुमार शर्मा | —''— | 5337 | — | —''— |
| 22 | श्रीमती ऋचा भदौरिया | —''— | 4251 | — | —''— |
| 23 | श्री सुरेश चन्द्र बाथम | वाहन चालक | 6712 | — | —''— |
| 24 | श्री कैलाश बाथम | —''— | 5236 | — | —''— |
| 25 | श्रीमती सरजू बाई | भृत्य | 4432 | — | —''— |
| 26 | श्री रामबाबू शर्मा | —''— | 4432 | — | —''— |
| 27 | श्री रामेश्वर पाल | —''— | 4372 | — | —''— |
| 28 | श्री संजय दिवेकर | —''— | 4310 | — | —''— |
| 29 | श्रीमती चन्द्रकला सक्सैना | —''— | 4100 | — | —''— |
| 30 | श्री मुन्ना लाल शर्मा | चौकीदार | 4312 | — | —''— |
| 31 | श्री राजेश माथुर | —''— | 4130 | — | —''— |
| 32 | सुश्री जया मजूमदार | संविदा कम्प्यूटर ऑपरेटर | — | 5000 | —''— |
| 33 | श्री कालीचरण बाथम | फर्राश (कलेक्टर दर पर) | — | 2308 | —''— |

v/;k; & 12 ¼eSuqvy & 11½

izR;sd vfHkdj.k dks vkoafVr ctV

¼|Hkh ;kstukvksa] O;; izLrkoksa rFkk /ku forj.k dh lwpuk½

12-1 ftyk i pk; r] Xokfy; j ea fofHkUu ; kstukvka ds vUrxr o"kl 2004&05 ea vk; 0; ; dh tkudkj h %ekg ekp] 2005½

| dk | ; kstuk dk uke | 1-4-04 dks cfd ea 'k'sk | o"kl 2004&05 ea iklr jkf'k | | | | 0; ; jkf'k | 'k'sk jkf'k |
|-----|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|-------|--------|---------------|----------------|
| | | | dknz | jkT; | vU; | ; ksx | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | एस.जी.एस.वाय. | 6.34 | 62.06 | 20.69 | 13.60 | 102.69 | 102.69 | 0.00 |
| 2. | सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना | 13.92 | 254.55 | 84.85 | 3.30 | 356.62 | 347.03 | 9.59 |
| 3. | खाद्यान्न परिवहन व्यय | 8.44 | 0.00 | 28.38 | 0.15 | 36.97 | 15.45 | 21.52 |
| 4. | जे.जी.एस.वाय. (ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड) | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 12.55 | 0.60 | 11.95 |
| 5. | इंदिरा आवास योजना | 2.93 | 116.00 | 38.67 | 2.74 | 160.34 | 160.19 | 0.15 |
| 6. | प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना | 0.11 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 6.51 | 6.40 | 0.11 |
| 7. | वाटर शेड | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.17 | 1.95 |
| 8. | समग्र आवास योजना | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 1.92 |
| 9. | एकीकृत पड़त भूमि विकास (मुरार) | 0.28 | 19.49 | 0.00 | 0.01 | 19.78 | 19.78 | 0.00 |
| 10. | एकीकृत पड़त भूमि विकास (भितरवार) | 0.56 | 41.05 | 0.00 | 0.00 | 41.61 | 41.61 | 0.00 |
| 11. | एकीकृत पड़त भूमि विकास (हरियाली) | 0.00 | 41.25 | 3.75 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 12 | प्रशासनिक मद (डी.आर.डी.ए.) | 0.19 | 32.59 | 10.86 | 0.76 | 44.40 | 43.89 | 0.51 |
| 13 | मध्यान्ह भोजन | 7.25 | 28.06 | 1.59 | 0.07 | 36.97 | 7.14 | 29.83 |
| 14 | राष्ट्रीय परिवार सहायता | 0.26 | 0 | 25.00 | 0.00 | 25.26 | 24.02 | 1.24 |
| 15 | राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन | 0.90 | 0.00 | 40.57 | 0.00 | 41.47 | 40.07 | 1.40 |
| 16 | बालिका समृद्धि योजना | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 17 | 1. दसवां वित्त आयोग (पंचा.एवं समाज) | 46.12 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 47.32 | 47.32 | 0.00 |
| 18 | कलेक्टर ग्वालियर | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 0.00 | 17.80 |
| | ग्यारहवां वित्त आयोग (तालाब गहरी) | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 12.47 | 0.00 | 12.47 |
| 19 | 1. ग्यारहवां वित्त आयोग (मूलभूत कार्य) | 146.66 | 0.00 | 133.55 | 0.34 | 280.55 | 199.02 | 81.53 |
| | 2. जनसहयोग सहित | | 0 | | 19.02 | 19.02 | | 19.02 |
| | 3. राज्य वित्त आयोग | 18.23 | 0.00 | 296.66 | 0.00 | 314.89 | 314.89 | 0.00 |
| | मूलभूत कार्य | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.22 | 8.22 | 0.00 |
| 20 | सामाजिक सुरक्षा (शहरी) | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 |
| 21 | सामाजिक सुरक्षा (ग्रामीण) | 0.00 | 0.00 | 52.99 | 0.00 | 52.99 | 49.41 | 3.58 |
| | ; kx | 306.16 | 601.45 | 912.56 | 42.41 | 1862.58 | 1602.90 | 259.68 |

I Ei w kZ xkeh.k jkst xkj ; kst uk
ftyk Lrjh; ¼20 ifr'kr½ fuekZ k dk; Z I ph o"K 2004&05

ftyk Xokfy; j

¼kf'k yk[k ea [kk | klu fDoM/y e½

| क्र. | योजना का नाम | कार्य का नाम | कार्य प्रारम्भ होने का दिनांक | कार्य समापन की अनुमानित दिनांक | ग्राम पंचायत | प्रशासकीय स्वीकृत राशि | | | शासन द्वारा प्रदाय / व्यय राशि | | | कार्य एजेन्सी | कार्य की भौतिक स्थिति | रिमार्क | | |
|------|----------------|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------|-----------|------|--------------------------------|------|-----------|---------------|-----------------------|-------------|-----|------|
| | | | | | | नगद | खाद्यान्न | | योग | नगद | खाद्यान्न | | | | योग | |
| | | | | | | | मात्रा | कीमत | | | मात्रा | | | | | कीमत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | एस.जी. आर.वाय. | मि.मु. भदरौली से मुख्य मार्ग पुलिया तक | 31.05.04 | | भदरौली | 0.83 | 248 | 1.24 | 2.07 | 0.59 | 248 | 1.24 | 1.83 | ग्राम पंचा. | | |
| 2 | एस.जी. आर.वाय. | मि.मु. रोडमेन भिण्ड रोड से सिद्ध बाबा मंदिर | 31.05.04 | | गिरगांव | 0.65 | 196 | 0.98 | 1.63 | 0.32 | 98 | 0.49 | 0.81 | ग्राम पंचा. | | |
| 3 | एस.जी. आर.वाय. | मि.मु. सिरसौद से भगवान पुरा | 31.05.04 | | सिरसौद | 1.20 | 360 | 1.80 | 3.00 | 0.90 | 360 | 1.80 | 2.70 | ग्राम पंचा. | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|----------|----------|--------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|-----------------|-------|--|
| 4 | एस.जी. आर.वाय. | ग्राम पंचायत राहुली केमाई से रोड मि. मु. रोड किलमपुरा | 28.06.04 | 20.12.04 | राहुली | 1.13 | 340 | 1.70 | 2.83 | 1.13 | 340 | 1.70 | 2.83 | ग्राम पंचा. | पूर्ण | |
| 5 | एस.जी. आर.वाय. | बेहट रोड से तोर आदि वासी का पुरा मुख्यतारपुरा | 26.06.04 | 30.11.04 | मुख्यतारपुरा | 0.68 | 204 | 1.02 | 1.70 | 0.68 | 204 | 1.02 | 1.70 | ग्राम पंचा. | पूर्ण | |
| 6 | एस.जी. आर.वाय. | दुहिया से सकतपुरा ग्राम पंचायत दुहिया | 28.06.04 | | दुहिया | 0.88 | 266 | 1.33 | 2.21 | 0.83 | 234 | 1.17 | 2.00 | ग्राम पंचा. | | |
| 7 | एस.जी. आर.वाय. | रतवाई तालाब जीर्णोद्धार माखवाला रतवाई | 16.06.04 | | रतवाई | 0.84 | 260 | 1.30 | 2.14 | 0.63 | 260 | 1.30 | 1.93 | ग्राम पंचा. | | |
| 8 | एस.जी. आर.वाय. | मि.मु. रोड डोंगरपुर ताल से फूल सिंह का पुरा | 31.05.04 | 29.03.05 | डोंगरपुर | 1.70 | 260 | 1.30 | 3.00 | 1.70 | 260 | 1.30 | 3.00 | E.E. RES | पूर्ण | |
| 9 | एस.जी. आर.वाय. | मिट्टी मुरम रोड मौ रोड से भगवान सिंह का पुरा | 31.05.04 | | रनगवाँ | 0.81 | 244 | 1.22 | 2.03 | 0.61 | 244 | 1.22 | 1.83 | ग्राम पंचा. | | |
| 10 | एस.जी. आर.वाय. | मिट्टी मुरम मार्ग बेहट रोड से रिपुआपुरा 1370मी. | 30.09.04 | 4/3/05 | मुख्त्यारपुर | 0.75 | 240 | 1.20 | 1.95 | 0.75 | 240 | 1.2 | 1.95 | ग्राम पंचायत | पूर्ण | |
| 11 | एस.जी. आर.वाय. | मिट्टी मुरम कार्य दुहिया से सकतपुरा का शेष कार्य पुलिया निर्माण सहित | | | दुहिया | 1.00 | 200 | 1.00 | 2.00 | 0.90 | 180 | 0.90 | 1.80 | ग्राम पंचायत | | |
| 12 | एस.जी. आर.वाय. | मिट्टी मुरम रोड पलिया की चक्की से होरी के डांडे तक, बड़ागाँव | 25.09.04 | 6/1/05 | बड़ागाँव | 0.20 | 60 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 60 | 0.30 | 0.50 | ग्राम पंचायत | पूर्ण | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|----------|----------|------------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|-----------------|-------|--|
| 13 | एस.जी. आर.वाय. | मिट्टी + मरुम रोड गौसेवा भवन से पातीराम वघेल के पुरा तक | 25.09.04 | | गड़रौली | 1.60 | 500 | 2.50 | 4.10 | 1.35 | 450 | 2.25 | 3.60 | ग्राम पंचायत | | |
| 14 | एस.जी. आर.वाय. | मिट्टी + मरुम रोड शेष कार्य डोंगरपुर ताल से फूलपुर नहर तक 300 मी. | 25.09.04 | 18.03.05 | जग्गपुरा | 0.35 | 124 | 0.62 | 0.97 | 0.35 | 124 | 0.62 | 0.97 | E.E. RES | पूर्ण | |
| 15 | एस.जी. आर.वाय. | मिट्टी + मरुम रोड आरौरा मैन रोड से आदिराम प्रजापति के पुरा तक 1500 मी. | 25.09.04 | | बेंहट | 1.10 | 330 | 1.65 | 2.75 | 0.80 | 330 | 1.65 | 2.45 | ग्राम पंचायत | | |
| 16 | एस.जी. आर.वाय. | मिट्टी+मरुम रोड दगियापुरा मौ रोड से ग्राम मढ़ा तक 1650 मी. | 25.09.04 | | दंगियापुरा | 1.10 | 330 | 1.65 | 2.75 | 1.00 | 290 | 1.45 | 2.45 | ग्राम पंचायत | | |
| 17 | एस.जी. आर.वाय. | मिट्टी+मरुम रोड शेष कार्य सिरसौद से भगवान का पुरा भाग 02, 615 मीटर | 25.09.04 | | सिरसौद | 0.85 | 250 | 1.25 | 2.10 | 0.80 | 210 | 1.05 | 1.85 | ग्राम पंचायत | | |
| 18 | एस.जी. आर.वाय. | मिट्टी+मरुम कार्य सुपावली से हरिकण्ठ का पुरा 1500 मीटर | 30.09.04 | 11/3/05 | राहुली | 1.10 | 340 | 1.70 | 2.80 | 1.05 | 300 | 1.50 | 2.55 | ग्राम पंचायत | | |
| 19 | एस.जी. आर.वाय. | मिट्टी मरुम कार्य घुसगंवा छावनी से मौ रोड तक | 15.10.04 | | घुसगंवा | 4.06 | 388 | 1.94 | 6.00 | 3.50 | 388 | 1.94 | 5.44 | E.E. RES | | |
| 20 | एस.जी. आर.वाय. | मि.मु.बंजारों के पुरा से सिद्ध बाबा तक किरावली | 25.10.04 | | किरावली | 0.60 | 80 | 0.40 | 1.00 | 0.48 | 64 | 0.32 | 0.80 | ग्राम पंचायत | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|---|----------|----------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|-------|--|
| 21 | एस.जी. आर.वाय. | मि.मु. मार्ग निर्माण बहांगीखुर्द से दाने बाबा के पुरा तक | 23.10.04 | 6/5/05 | बहांगीखुर्द | 1.47 | 196 | 0.98 | 2.45 | 1.47 | 196 | 0.98 | 2.45 | ग्राम पंचायत | पूर्ण | |
| 22 | एस.जी. आर.वाय. | मि.मु. मार्ग चक महाराज पुर से खार तक | 25.10.04 | | चक महरौली | 0.60 | 80 | 0.40 | 1.00 | 0.60 | 32 | 0.16 | 0.76 | | | |
| 23 | एस.जी. आर.वाय. | मि.मु.मार्ग पशु औषधालय हस्तिनापुर से हीरा भूमियां तक | 25.10.04 | 10/2/05 | हस्तिनापुर | 0.60 | 80 | 0.40 | 1.00 | 0.60 | 80 | 0.4 | 1.00 | | पूर्ण | |
| 24 | एस.जी. आर.वाय. | मि.मु. फुसावली अधूरे रोड से लाखापुरा तक | 25.10.04 | | फुसावली | 0.60 | 80 | 0.40 | 1.00 | 0.60 | 32 | 0.16 | 0.76 | | | |
| | | ; kx | | | | 24.70 | 5656 | 28.28 | 52.98 | 21.84 | 5224 | 26.120 | 47.96 | | | |
| 1 | एस.जी. आर.वाय. | मि.मु. रोड टेकनपुर से चिरुली नहर पुलिया | 31.05.04 | 26.10.04 | टेकनपुर | 0.91 | 272 | 1.36 | 2.27 | 0.91 | 272 | 1.36 | 2.27 | ग्राम पंचा. | पूर्ण | |
| 2 | एस.जी. आर.वाय. | मि.मु. रोड सुल्तानपुर से पिछोर | 31.05.04 | 30.09.04 | सुल्तानपुर | 0.80 | 240 | 1.20 | 2.00 | 0.80 | 240 | 1.20 | 2.00 | ग्राम पंचा. | पूर्ण | |
| 3 | एस.जी. आर.वाय. | मि.मु. रोड पुट्टी से सिल्ली | 31.05.04 | 25.09.04 | पुट्टी | 0.90 | 270 | 1.35 | 2.25 | 0.885 | 270 | 1.35 | 2.235 | ग्राम पंचा. | पूर्ण | |
| 4 | एस.जी. आर.वाय. | मिट्टी+ मुरम अनुपसिंह सरदार डेरा से ग्राम गंडोल तक वाया गंडोलखुर्द 2.7 किमी. | 25.09.04 | | गंडोलखुर्द | 4.325 | 275 | 1.375 | 5.70 | 3.325 | 275 | 1.375 | 4.70 | E.E. RES. | | |
| 5 | एस.जी. आर.वाय. | मिट्टी + मुरम 1500 मी. सिल्ली से नाहटोली | 27.09.04 | 31.03.05 | पुट्टी | 1.25 | 378 | 1.89 | 3.14 | 1.2395 1 | 378 | 1.89 | 3.1295 1 | ग्राम पंचायत | पूर्ण | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|----------|----------|------------|--------|------|----------|-------|--------------|------|-------|--------------|---|-------|--|
| 6 | एस.जी. आर.वाय. | मि.मु. कार्य सुल्तानपुर रोड से कटारेबाबा के मकान पिछोर रोड तक | 23.10.04 | 22.11.04 | सुल्तानपुर | 2.10 | 280 | 1.40 | 3.50 | 2.10 | 280 | 1.4 | 3.50 | ग्राम पंचायत | पूर्ण | |
| | | ; kx | | | | 10.285 | 1715 | 8.575 | 18.86 | 9.25951 0 | 1715 | 8.575 | 17.8345 1 | | | |
| 1 | एस.जी. आर.वाय. | मि.मु. रोड सुखदेव सिंह का पुरा से करहिया नहर के पास | 31.05.04 | 5/2/05 | ईटमा | 0.80 | 240 | 1.2 0 | 2.00 | 0.79 | 240 | 1.20 | 1.99 | ग्राम पंचा. | पूर्ण | |
| 2 | एस.जी. आर.वाय. | मुरमी करण अमरौल से शिखनगर रोड | 31.05.04 | 5/2/05 | | 0.93 | 280 | 1.4 0 | 2.33 | 0.93 | 280 | 1.40 | 2.33 | E.E. RES | पूर्ण | |
| 3 | एस.जी. आर.वाय. | मिट्टी कार्य रोड कछौआ से पीपरी पुरा (शेष कार्य) | 31.05.04 | 23.10.04 | | 2.03 | 608 | 3.04 | 5.07 | 2.03 | 608 | 3.04 | 5.07 | E.E. RES | पूर्ण | |
| 4 | एस.जी. आर.वाय. | डी 3 ए 1 एल मायनर नहर वनियातोर चैन 1 से 125 तक सैक्सनिंग कार्य | 31.05.04 | 24.08.05 | | 0.98 | 292 | 1.46 | 2.44 | 0.98 | 292 | 1.46 | 2.44 | अध्यक्ष जल उपभोक्ता संस्था सिल्हा | पूर्ण | |
| 5 | एस.जी. आर.वाय. | मि.मु. रोड ईटमा वाई पास से पचोरा | 19.07.04 | 13.12.04 | ईटमा | 0.69 | 208 | 1.04 | 1.73 | 0.676 | 208 | 1.04 | 1.716 | ग्राम पंचा. | पूर्ण | |
| 6 | एस.जी. आर.वाय. | मुरमीकरण कार्य कछौआ से पीपरीपुरा | 27.09.04 | | कछौआ | 1.40 | 420 | 2.10 | 3.50 | 1.10 | 380 | 1.90 | 3.00 | ग्राम पंचायत | | |
| 7 | एस.जी. आर.वाय. | मिट्टी+मुरम रोड जुझारपुर से एराया कछौआ मार्ग तक | 27.09.04 | | जुझारपुर | 1.10 | 270 | 1.35 | 2.45 | 1.00 | 210 | 1.05 | 2.05 | E.E. RES | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|---|----------|----------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|---------------|----------------------|-----------------|-------|--|
| 8 | एस.जी. आर.वाय. | नहर डी 3 ए की 80 चैन फाल की मरम्मत एवं नहर की पार की मरम्मत कार्य | 25.09.04 | 22.02.05 | | 1.00 | 300 | 1.50 | 2.50 | 0.9912 1 | 300 | 1.50 | 2.4912 1 | ग्राम पंचायत | पूर्ण | |
| 9 | एस.जी. आर.वाय. | डब्ल्यू बी.एम. रोड ईटमा से पाठे का मंदिर पहुंचमार्ग पर | 25.09.04 | | ईटमा | 4.15 | 250 | 1.25 | 5.40 | 3.85 | 250 | 1.25 | 5.10 | E.E. RES | | |
| 10 | एस.जी. आर.वाय. | मिट्टी+ मुरम रोड कुपेडा रोड से लोढ़ी मार्ग तक 400 मी. | 25.05.04 | | कुपेडा | 0.35 | 120 | 0.60 | 0.95 | 0.35 | 45 | 0.225 | 0.575 | ग्राम पंचायत | | |
| 11 | एस.जी. आर.वाय. | मि.मु. मार्ग डजूमर से देवगढ़ | 23.10.04 | 8/2/05 | देवगढ़ | 2.07 | 276 | 1.38 | 3.45 | 2.07 | 276 | 1.38 | 3.45 | ग्राम पंचायत | पूर्ण | |
| 12 | एस.जी. आर.वाय. | मि.मु. मसूदपुर से शर्मा के चक | 23.10.04 | 28.02.05 | बेला | 1.77 | 236 | 1.18 | 2.95 | 1.77 | 236 | 1.18 | 2.95 | ग्राम पंचायत | पूर्ण | |
| 13 | एस.जी. आर.वाय. | मि.मु. मार्ग चरखा से बरौआ | 23.10.04 | 28.06.05 | चरखा | 1.77 | 236 | 1.18 | 2.95 | 1.77 | 210 | 1.05 | 2.82 | ग्राम पंचायत | पूर्ण | |
| 14 | एस.जी. आर.वाय. | मि.मु. नोन की सराय से मैना | 23.10.04 | | नोन की सराय | 1.2 | 160 | 0.80 | 2.00 | 0.95 | 160 | 0.8 | 1.75 | ग्राम पंचायत | | |
| | | ; kx | | | | 20.240 | 3896 | 19.480 | 39.720 | 19.2572 1 | 3695 | 18.475 | 37.7322 1 | | | |
| 1 | एस.जी. आर.वाय. | नवीन तालाब निर्माण हुकुमगढ़ चैत रास्तेपर | 31.05.04 | 16.06.05 | हुकुमगढ़ | 1.98 | 594 | 2.97 | 4.95 | 1.9381 2 | 594 | 2.97 | 4.9081 2 | ग्राम पंचा. | पूर्ण | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|----------|--|------|--------|-------|--------|--------|----------|-------|--------|---------|--|--|--|
| 2 | एस.जी. आर.वाय. | मिट्टी+ मुरम रोड मेघसिंह कुशवाह के मकान से जाटवों के तालाब तक बरौआ | 25.09.04 | | बरौआ | 0.80 | 240 | 1.20 | 2.00 | 0.70 | 180 | 0.90 | 1.60 | | | |
| | | योग | | | | 2.78 | 834 | 4.17 | 6.95 | 2.63812 | 774 | 3.87 | 6.50812 | | | |
| | | महायोग | | | | 58.005 | 12101 | 60.505 | 118.51 | 52.99484 | 11408 | 57.040 | 110.035 | | | |

Distt. GWALIOR Block :- BARAI YEAR 2004-05

व्यय राशि, नगद, खाद्यान्न, एम.टी

| क्र० | योजना का नाम | कार्य का नाम | कार्य प्रारंभ होने का दिनांक | कार्य समापन अनुमानित दिनांक | प्रशासकीय स्वीकृत राशि | | | स्वीकृत अंशिका राशि | | | शासन द्वारा प्रदत्त (किश्तों में) | व्यय राशि | | | कार्य एजेन्सी | कार्य की भौतिक स्थिति | | | |
|------|--------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|------|---------------------|-----|-----------|-----------------------------------|-----------|-----|-----------|---------------|-----------------------|-----|--------|------|
| | | | | | नगद | खाद्यान्न | | योग | नगद | खाद्यान्न | | योग | नगद | खाद्यान्न | | | योग | | |
| | | | | | | मात्रा | कीमत | | | मात्रा | | | | कीमत | | | | मात्रा | कीमत |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|---------|----------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|--|------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 1 | सूखा राहत | पशु अवरोधक खंती एवं कन्टूर टैन्च बरई | 9.9.04 | 31.12.04 | 1.94 | 116.4 | 5.82 | 7.76 | 1.94 | 116.4 | 5.82 | 7.76 | शासन द्वारा वर्ष 2004-05 में सूखा राहत कार्य हेतु नगद राशि रुपये 25.00 लाख एवं सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना "विशेष घटक" योजनान्तर्गत 5823 एम.टी खाद्यान्न मात्रा का आवंटन उपलब्ध कराया गया था। शासन द्वारा अपूर्ण राहत कार्य को पूर्ण करने हेतु वर्ष 2005-06 में राशि रुपये 20.00 लाख का आवंटन प्रदाय किया गया था। शासन निर्देशों के क्रम में | 1.94 | 116.4 | 5.82 | 7.76 | E.E. RES. | पूर्ण |
| 2 | सूखा राहत | पशु अवरोधक खंती एवं कन्टूर टैन्च राई का पुरा | 9.9.04 | 31.12.04 | 1.40 | 84.4 | 4.22 | 5.62 | 1.40 | 84.4 | 4.22 | 5.62 | | 1.39 | 84.4 | 4.22 | 5.61 | E.E. RES- | पूर्ण |
| 3 | सूखा राहत | नवीन तालाब पुरासानी तलैया एवं बरौआ पिछोर नाला पर बोल्डर चैक | 29.9.04 | 31.03.05 | 4.90 | 149.8 | 7.49 | 12.39 | 4.90 | 149.8 | 7.49 | 12.39 | | 4.90 | 149.8 | 7.49 | 12.39 | E.E. RES- | पूर्ण |
| 4 | सूखा राहत | नवीन तालाब कैमारी टांका | 25.9.04 | 31.03.05 | 3.98 | 106.8 | 5.34 | 9.32 | 3.98 | 106.8 | 5.34 | 9.32 | | 3.98 | 106.8 | 5.34 | 9.32 | E.E. RES- | पूर्ण |
| 5 | सूखा राहत | नवीन तालाब निर्माण कांसेर नयागांव | 25.9.04 | 31.03.05 | 2.93 | 87.2 | 4.36 | 7.29 | 2.93 | 87.2 | 4.36 | 7.29 | | 2.93 | 87.2 | 4.36 | 7.29 | E.E. RES- | पूर्ण |
| 6 | सूखा राहत | तालाब जीर्णोद्धार, गहरीकरण पाटई | 25.9.04 | 31.03.05 | 0.26 | 14.5 | 0.725 | 0.985 | 0.26 | 14.5 | 0.725 | 0.985 | | 0.26 | 14.5 | 0.725 | 0.985 | Gram Panchayt Banheri | पूर्ण |
| 7 | सूखा राहत | तालाब मरम्मत कार्य चराई रेंहट | 25.9.04 | 31.03.05 | 0.26 | 13.1 | 0.655 | 0.915 | 0.26 | 13.1 | 0.655 | 0.915 | | 0.14 | 13.1 | 0.655 | 0.795 | Gram Panchayt Banheri | पूर्ण |
| 8 | सूखा राहत | तालाब गहरीकरण लावन का पुरा आरौन | 25.9.04 | 31.03.05 | 0.29 | 13.6 | 0.68 | 0.97 | 0.29 | 13.6 | 0.68 | 0.97 | | 0.23 | 13.6 | 0.68 | 0.91 | Gram Panchayt Banheri | पूर्ण |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|----------|-----------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|---|------|-------|-------|---------------|-----------------------|-------|
| 9 | सूखा राहत | तालाब जीर्णोद्धार , गहरीकरण तादई | 25.9.04 | 31.03.05. | 0.28 | 13.9 | 0.695 | 0.975 | 0.28 | 13.9 | 0.695 | 0.975 | के क्रम में 11 वॉ वित्त पारम्परिक जल स्रोत वर्ष 2000-01 की अवशेष राशि रूपये 12.72 लाख एवं गौण खनिज राजस्व राशि जनपद पंचायत घाटीगांव व जिला स्तरीय राशि रूपये 26.24 लाख का उपयोग कर समस्त राहत कार्यो को पूर्ण कराया गया है। | 0.22 | 13.9 | 0.695 | 0.915 | Gram Panchayt Banheri | पूर्ण |
| 10 | सूखा राहत | तालाब जीर्णोद्धार , सहसारी | 25.9.04 | 31.03.05. | 0.25 | 13.3 | 0.665 | 0.915 | 0.25 | 13.3 | 0.665 | 0.915 | | 0.2 | 13.3 | 0.665 | 0.865 | Gram Panchayt Banheri | पूर्ण |
| 11 | सूखा राहत | पशु अवरोधक खंती एवं कन्टूर टैन्च गौधी पुरा (आदिवासी पुरा) | 6.10.04 | 31.12.04 | 2.24 | 112.8 | 5.64 | 7.88 | 2.24 | 112.8 | 5.64 | 7.88 | | 2.24 | 112.8 | 5.64 | 7.88 | E.E. RES. | पूर्ण |
| 12 | सूखा राहत | पशु अवरोधक खंती एवं कन्टूर टैन्च गोकुलपुर (आदिवासी पुरा) | 6.10.04 | 31.12.04 | 2.2 | 109.6 | 5.48 | 7.68 | 2.2 | 109.6 | 5.48 | 7.68 | | 2.2 | 109.6 | 5.48 | 7.68 | E.E. RES. | पूर्ण |
| 13 | सूखा राहत | तालाब निर्माण राती नाले पर | 15.10.04 | 31.03.05 | 2.31 | 66.8 | 3.34 | 5.65 | 2.31 | 66.8 | 3.34 | 5.65 | | 2.31 | 66.8 | 3.34 | 5.65 | E.E. RES. | पूर्ण |
| 14 | सूखा राहत | नवीन तालाब निर्माण आश्रम के पीछे टीकुला | 15.10.04 | 31.03.05 | 2.35 | 67.4 | 3.37 | 5.72 | 2.35 | 67.4 | 3.37 | 5.72 | | 2.35 | 67.4 | 3.37 | 5.72 | E.E. RES. | पूर्ण |
| 15 | सूखा राहत | नवीन तालाब निर्माण खड़ा आदिवासी पुरा | 15.10.04 | 31.03.05 | 3.3 | 86.4 | 4.32 | 7.62 | 3.3 | 86.4 | 4.32 | 7.62 | | 3.3 | 86.4 | 4.32 | 7.62 | E.E. RES. | पूर्ण |
| 16 | सूखा राहत | नयागाँव तालाब का सुदृढीकरण | 15.10.04 | 31.03.05 | 2.67 | 88.2 | 4.41 | 7.08 | 2.67 | 88.2 | 4.41 | 7.08 | | 2.67 | 88.2 | 4.41 | 7.08 | E.E. W.R.Gwl. | पूर्ण |
| 17 | सूखा राहत | आदिवासी का पुरा तालाब का शेष कार्य | 15.10.04 | 31.03.05 | 2.89 | 78 | 3.9 | 6.79 | 2.89 | 78 | 3.9 | 6.79 | 2.89 | 78 | 3.9 | 6.79 | E.E. W.R.Gwl. | पूर्ण | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------|
| 18 | सूखा राहत | नवीन तालाब निर्माण कालावाह (कई नाले पर) | 26.10.04 | 31.12.04 | 2.62 | 67.6 | 3.38 | 6.00 | 2.62 | 67.6 | 3.38 | 6.00 | 2.62 | 67.6 | 3.38 | 6.00 | E.E. RES. | पूर्ण |
| 19 | सूखा राहत | नवीन तालाब निर्माण बरई पुरा | 26.10.04 | 31.12.04 | 3.35 | 87 | 4.35 | 7.70 | 3.35 | 87 | 4.35 | 7.70 | 3.35 | 87 | 4.35 | 7.70 | E.E. RES. | पूर्ण |
| 20 | सूखा राहत | नवीन तालाब निर्माण शंकरपुर श्यामपुर खौ | 26.10.04 | 31.12.04 | 4.9 | 128 | 6.4 | 11.3 | 4.9 | 128 | 6.4 | 11.3 | 4.6 | 128 | 6.4 | 11.0 | E.E. RES. | पूर्ण |
| 21 | सूखा राहत | नवीन तालाब निर्माण सिरसा महाराजपुरा के बीच में पनिहाई कुँआ के पास | 26.10.04 | 31.12.04 | 3.22 | 88 | 4.4 | 7.62 | 3.22 | 88 | 4.4 | 7.62 | 3.22 | 88 | 4.4 | 7.62 | E.E. RES. | पूर्ण |
| 22 | सूखा राहत | नवीन तालाब निर्माण डगोरा (रोड के बगल में) | 26.10.04 | 31.12.04 | 3.55 | 93 | 4.65 | 8.20 | 3.55 | 93 | 4.65 | 8.20 | 3.55 | 93 | 4.65 | 8.20 | E.E. RES. | पूर्ण |
| 23 | सूखा राहत | नवीन तालाब निर्माण आरौन खारी नाला | 26.10.04 | 31.12.04 | 2.6 | 68 | 3.4 | 6.0 | 2.6 | 68 | 3.4 | 6.0 | 2.6 | 68 | 3.4 | 6.0 | E.E. RES. | पूर्ण |
| 24 | सूखा राहत | नवीन तालाब निर्माण चुही | 26.10.04 | 31.01.05 | 1.2 | 32 | 1.6 | 2.8 | 1.2 | 32 | 1.6 | 2.8 | 0.96 | 32 | 1.6 | 2.56 | Gram Panchayt Banheri | पूर्ण |
| 25 | सूखा राहत | के0पी0नहर की सात मायनर का मरम्मत कार्य (1आर से 7 आर) | 29.11.04 | 31.03.05 | 0.93 | 44.6 | 2.23 | 3.16 | 0.93 | 44.6 | 2.23 | 3.16 | 0.93 | 44.6 | 2.23 | 3.16 | E.E. W.R.Gwl. | पूर्ण |
| 26 | सूखा राहत | सुसेरा पिक अप वीयर नहर का जीर्णोद्धार कार्य | 29.11.04 | 31.03.05 | 1.64 | 81.2 | 4.06 | 5.70 | 1.64 | 81.2 | 4.06 | 5.70 | 1.17 | 81.2 | 4.06 | 5.23 | E.E. W.R.Gwl. | पूर्ण |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|----------|----------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|--|------|-------|------|------|----------------------|-------|
| 27 | सूखा राहत | नवीन तालाब निर्माण उम्मेदगढ पीपर झील | 29.11.04 | 31.12.04 | 1.26 | 36.0 | 1.80 | 3.06 | 1.26 | 36.0 | 1.80 | 3.06 | | 0.27 | 36.0 | 1.80 | 2.07 | Gram Panchayt | पूर्ण |
| 28 | सूखा राहत | नवीन तालाब निर्माण चराई श्यामपुर | 3.12.04 | 31.12.04 | 1.0 | 32.0 | 1.60 | 2.6 | 1.0 | 32.0 | 1.60 | 2.6 | | 0.8 | 32.0 | 1.60 | 2.4 | Gram Panchayat | पूर्ण |
| 29 | सूखा राहत | नवीन तालाब निर्माण जेबरा खोह | 3.12.04 | 31.03.05 | 0.96 | 26.4 | 1.32 | 2.28 | 0.96 | 26.4 | 1.32 | 2.28 | | 0.7 | 26.4 | 1.32 | 2.02 | Gram Panchayat | पूर्ण |
| 30 | सूखा राहत | निस्तारी तालाब मेहताब का चक | 3.12.04 | 31.03.05 | 3.3 | 89.0 | 4.45 | 7.75 | 3.3 | 89.0 | 4.45 | 7.75 | | 2.7 | 89.0 | 4.45 | 7.15 | E.E. RES. | पूर्ण |
| 31 | सूखा राहत | नवीन तालाब पीपरी खोह | 3.12.04 | 31.03.05 | 3.7 | 100.0 | 5.00 | 8.7 | 3.7 | 100.0 | 5.00 | 8.7 | | 3.42 | 100.0 | 5.00 | 8.42 | E.E. RES. | पूर्ण |
| 32 | सूखा राहत | जखा सिमरिया नहर का जीर्णोद्धार कार्य | 3.12.04 | 31.03.05 | 2.8 | 139.0 | 6.95 | 9.75 | 2.8 | 139.0 | 6.95 | 9.75 | | 1.99 | 139.0 | 6.95 | 8.94 | E.E. W.R.Gwl. | पूर्ण |
| 33 | सूखा राहत | नवीन तालाब निर्माण रेहटी आदिवासियों की जमीन के पास | 16.12.04 | 31.03.05 | 2.44 | 64.4 | 3.22 | 5.66 | 2.44 | 64.4 | 3.22 | 5.66 | | 2.1 | 64.4 | 3.22 | 5.32 | E.E. RES. | पूर्ण |
| 34 | सूखा राहत | तालाब जीर्णोद्धार बन्हेरी | 16.12.04 | 31.05.05 | 1.11 | 55.2 | 2.76 | 3.87 | 1.11 | 55.2 | 2.76 | 3.87 | | 1.0 | 55.2 | 2.76 | 3.76 | E.E. Dam. Sefty Gwi. | पूर्ण |
| 35 | सूखा राहत | शम्भूपुरा तालाब जीर्णोद्धार कार्य | 16.12.04 | 31.05.05 | 2.80 | 81.6 | 4.08 | 6.88 | 2.80 | 81.6 | 4.08 | 6.88 | | 2.80 | 81.6 | 4.08 | 6.88 | E.E. Dam. Sefty Gwi. | पूर्ण |
| 36 | सूखा राहत | दीवान तालाब जीर्णोद्धार कार्य | 16.12.04 | 31.05.05 | 2.62 | 81.0 | 4.05 | 6.67 | 2.62 | 81.0 | 4.05 | 6.67 | | 2.2 | 81.0 | 4.05 | 6.25 | E.E. Dam. Sefty Gwi. | पूर्ण |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|----------|----------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|--|-------|--------|-------|--------|----------------------|-------|
| 37 | सूखा राहत | तालाब जीर्णोद्धार काय सागर तालाब | 16.12.04 | 31.05.05 | 3.11 | 147.8 | 7.39 | 10.50 | 3.11 | 147.8 | 7.39 | 10.50 | | 3.11 | 147.8 | 7.39 | 10.04 | E.E. Dam. Sefty Gwi. | पूर्ण |
| 38 | सूखा राहत | तालाब सुदृढीकरण (चैत देवरी) | 16.12.04 | 31.03.05 | 3.95 | 108.2 | 5.41 | 9.36 | 3.95 | 108.2 | 5.41 | 9.36 | | 3 | 108.2 | 5.41 | 8.41 | E.E. W.R.Gwl. | पूर्ण |
| 39 | सूखा राहत | नवीन तालाब निर्माण सीता कापुरा | 16.12.04 | 31.03.05 | 0.95 | 32.8 | 1.64 | 2.59 | 0.95 | 32.8 | 1.64 | 2.59 | | 0.8 | 32.8 | 1.64 | 2.44 | Gram Panchayat | पूर्ण |
| 40 | सूखा राहत | नवीन तालाब निर्माण राय के आश्रम के पास | 16.12.04 | 31.03.05 | 1.50 | 40.0 | 2.00 | 3.50 | 1.50 | 40.0 | 2.00 | 3.50 | | 1.20 | 40.0 | 2.00 | 3.20 | E.E. RES. | पूर्ण |
| 41 | सूखा राहत | नवीन पोखर निर्माण पिछौर नाले पर बरौआ | 5.2.05 | 31.03.05 | 1.12 | 39.4 | 1.97 | 3.09 | 1.12 | 39.4 | 1.97 | 3.09 | | 0.90 | 39.4 | 1.97 | 2.87 | E.E. RES. | पूर्ण |
| | | योग | | | 91.08 | 2984.4 | 149.2 | 240.3 | 91.08 | 2984.40 | 149.2 | 240.3 | | 84.14 | 2984.4 | 149.2 | 232.90 | | |

v/;k; & 13 ¼eSuqvy & 12½

vuqnku @ jkt lgk;rk dk;ZØeksa ds fØ;kUo;u dh jhfr

13-1 I Ei w kZ xkeh.k jkst xkj ; kst uk dk dæokj I kkkfor mRrj %&

- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 22.5 प्रतिशत जिला एवं जनपद पंचायत स्तरीय राशि क्रमशः 24.82लाख एवं 41.325 लाख ।
- वित्तीय वर्ष
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों को आयसृजक गतिविधियों के लिये अनुदान उपलब्ध कराना ।
- राशि रूपये 41.32 लाख जिला पंचायत स्तरीय राशि 24.82 लाख
- बी.पी.एल. 1471 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
- योजनान्तर्गत पूर्व से लाभ प्राप्त नहीं किया हो ।
- संबंधित ग्राम पंचायतों के माध्यम से
- ग्रामसभा/ग्राम पंचायत/जनपद स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद

- नही
- नही
- सादा कागज पर
- आवेदक अपनी मांग/आवश्यकतानुसार अपने आवेदन पत्र में स्पष्ट उल्लेख करें।
- बी.पी.एल. नम्बर जाति प्रमाण पत्र
- सादा कागज
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
- जिला स्तर 24.82 लाख
- जनपद पंचायत 41.32 लाख
- लाभार्थियों की सूची।

13-1 dk dæokj | kkkfor mRrj

- 1— स्वर्ण जयंती ग्राम स्व रोजगार योजना
- 2— शासन से संबंधित।
- 3— गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सामाजिक ,आर्थिक सुदृढीकरण हेतु संगठित कर समूह का गठन कर आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर सामाजिक परिवेश के साथ आर्थिक स्तर में वृद्धि करना ।
- 4— वित्तीय लक्ष्य वर्ष 2004-05 – 180.88 (लाखों में)
- 5— बी.पी.एल. सूची में परिवार के मुखिया का नाम एवं सक्रिय स्व सहायता समूह का सदस्य होना आवश्यक ।
- 6— आवेदक की आयु 18-60 वर्ष
- 7— स्व सहायता समूह/एकल ऋण प्रकरणों के माध्यम से ।
- 8— गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का समूह
- 9— सामान्य-परियोजना लागत का 30प्रतिशत या 7500/-अ.जा./अ.ज.जा.-परियोजना लागत 50 प्रतिशत या 10,000/- समूह-परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत रु. 10,000/-प्रति व्यक्ति या 1.25 लाख जो भी कम हो। सिंचाई परियोजनाओं के लिये कोई वित्तीय सीमा नहीं ।

- 10.— अ. समूह की प्रथम ग्रेडिंग के पश्चात—जिला पंचायत द्वारा पात्रतानुसार रिवा0फण्ड की राशि स्वीकृति एवं संबंधित बैंक द्वारा सी.सी.लिमिट तैयार करना ।
 ब. समूह को आर्थिक गतिविधियों जोड़े जाने पर जिला पंचायत द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार समूह के बैंक खाते में अनुदान राशि भेजी जाती है जिसका पश्चावर्ती समायोजन किया जाना है ।
- 11.— ग्राम पंचायत/विकास खण्ड स्तरीय सहायक विकास विस्तार अधिकारियों से संपर्क ।
 12.— निशुल्क
 13.— निशुल्क
 14.— छपा हुआ आवेदन निशुल्क ग्राम पंचायत/ ए.डी.ई.ओ./सी.ई.ओ. जन0 पंचा0 से प्राप्त किया जा सकता है ।
 15.— फोटो, एस.एच.जी. का आय व्यय पत्रक, बैठक कार्यवाही विवरण अनुबंध पत्रक, प्रोजेक्ट,शशपथ पत्र,
 16.— आवेदन में संलग्न है ।
 17.— विकास खण्ड कार्यालय से संबंधित बैंक शाखा/जिला पंचायत से
 ftyk Lrj ij%&
 18.— केन्द्रांश—रु. 62.06 लाख
 राज्यांश—रु. 20.69 लाख
 अन्य— रु. 13.60 लाख
 योग— रु. 102.69 लाख
 19.— लाभार्थियों की सूची ।

jktho xkakh ty xg.k {ks= icaku fe'ku

fe'ku ds mnn\$; %&

1. समान कार्य करने वाले सभी संस्थाओ, विभागों इत्यादि को एक मंच पर लाकर कार्यक्रम से जोड़ना ।
2. कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न विभागों का उपयोग ।
3. विभिन्न विभागों इत्यादि के पास उपलब्ध वित्तीय एवं तकनीकी संसाधनों को एकजाई कर कार्यक्रम को विस्तार देना ।
4. अतिरिक्त संसाधनों को जुटाना ।
5. कार्यक्रम संचालन के पक्ष में विकसित वातावरण की वर्तमान गति को बनाये रखना ।
6. कार्यक्रम के स्थायित्व के लिये तकनीकी आधार पर सुदृढ़ करना ।
7. विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं इस हेतु राज्य,जिला,संभाग एवं वाटरशेड कमेटी स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय ।

8. भू एवं जल संसाधनों के संरक्षण व संवर्धन तथा जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के संबंध में समन्वित कार्य योजना तथा नीतिगत निर्णयों हेतु जिला स्तर पर शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना ।

fe'ku ds dk; :-

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये मिशन के कार्य निम्नानुसार है ।

- 1 जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक समस्त गतिविधियां हाथ में लेना उनके लिये वित्तीय व्यवस्था करना था धनराशि उपलब्ध कराना,उनका अनुश्रवण और क्रियान्वयन की समीक्षा करना और मिशन द्वारा कारगर ढंग से कार्य करने हेतु नीति निर्धारण और दिग्दर्शन का पालन करना ।
- 2 जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के प्रति समर्पित समस्त स्वयं सेवी संस्थाओं,शैक्षणिक संस्थाओं अनुसंधान प्रयोगशालाओं,सक्षम व्यक्तियों एवं समाज सेवियों का का सहयोग हासिल करना उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना और उन्हें कार्यक्रम से समय समय पर निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार जोड़ना ।
- 3 प्रशिक्षण,प्रबोधन और उपयुक्त निकायों,औपचारिक या अन्य के माध्यम से समाज की भागीदारी हासिल करते हुये जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रमों को कारगर ढंग से ग्रामीण समाज द्वारा संचालित कराना ।
- 1 मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सभी संबंधितों की रचनात्मक और सक्रिय भागीदारी हासिल करना और इस हेतु समय-समय पर आवश्यक प्रयास एवं प्रयोग करना ।
- 2 जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रमसे संबंधित शोध,अध्ययन,मूल्यांकन इत्यादि मिशन द्वारा निर्धारित निर्देशों का पालन करना ।
- 3 जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के क्षेत्र में स्थापित उत्कृष्ट संस्थाओं और नवीन संस्थओं से संपर्क स्थापित कर तकनीकी संसाधन सहयोग सुनिश्चित करना ।
- 4 मिशन से संबंधित विषयों पर सम्मेलन,गोष्ठी एवं कार्यशालाएँ आयोजित करना ।
- 5 जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम से संबंधित साहित्य,प्रचार सामग्री इत्यादि विकसित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिये सामग्री का संबंधितों में वितरण करना ताकि उच्चतम स्तर का जन सहयोग हासिल हो सके ।
- 6 जिले में स्थित अन्य विभागों के भू एवं जल प्रबंधन तथा जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन संस्थानों से सहयोग करना और आवश्यकतानुसार उनका संविलियर कर कार्यक्रम को सशक्त बनाना ।
- 7 जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम से संबंधित भारत शासन की विभिन्न योजनाओं को मिशन की गतिविधियों का अभिन्न अंग बना उन्हें प्रदेश से निर्धारित उद्देश्यानुसार ग्रामीण क्षेत्र में संचालित कराना ।
- 8 जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के संबंध में राज्य शासन को समय-समय पर जानकारी देना ।

fe'ku dh 'kfDr; ka-

- 1 जिला स्तर पर विभिन्न तकनीकी एवं संबद्ध विभागों के योग्य अधिकारियों से वाटरशेड डेवलपमेन्ट टीम का गठन करना ।
- 2 जिला स्तरीय तकनीकी /सलाहकार समिति का गठन ।
- 3 परियोजना क्रियान्वयन दलों का गठन करना एवं उनके पंजीयन प्रमाण पर जारी करना ।
- 4 स्वीकृत जल ग्रहण क्षेत्र परियोजनाओं का चयन करना ।
- 5 चयनित क्षेत्रों की कार्ययोजना तैयार कराना ।
- 6 पानी रोको समिति/वाटरशेड कमेटी का गठन एवं उनका पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना ।
- 7 माइक्रोवाटरशेडवार प्रशासकीय स्वीकृति जारी करना ।
- 8 परियोजना क्रियान्वयन दल स्तर पर एवं वाटरशेड कमेटी स्तर पर राशि जारी करना ।
- 9 कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करना ।
- 10 वित्तीय संसाधनों हेतु राज्य शासन के माध्यम से केन्द्र शासन को किश्त के परियोजना प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करना ।

fe'ku yhmj@ed; dk; i kyu vf/kdkjh ds dk; l , oa 'kfDr; ka :-

1. प्रत्येक जल ग्रहण क्षेत्र परियोजनाओं के लिये विभिन्न तकनीकी विभाग के अधिकारी की परियोजना अधिकारी के रूप में नियुक्ति करेगा और उसकी परिलब्धियां और सेवा शर्तों का निर्धारण करेगा ।
2. स्वीकृत मिली वाटरशेडस की माइक्रोवाटरशेडवार कार्ययोजना तैयार करना ।
3. माइक्रोवाटरशेडों की कार्य योजना की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर परियोजना क्रियान्वयन दल स्तर पर प्रशासनिक मद,सामुदायिक संगठन मद, प्रशिक्षण मद में एवं वाटरशेड कमेटी स्तर पर उपचार कार्य हेतु राशि जारी करना ।
4. प्रगति प्रतिवेदन राज्य शासन की ओर भेजना
5. वित्तीय संसाधनों हेतु राज्य शासन के माध्यम से केन्द्र शासन को किश्त के परियोजना प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करना ।
6. जिला स्तरीय जल ग्रहण तकनीकी/सलाहकार समिति की बैठकों का प्रबंध करना तथा बैठकों की कार्यवाही का वितरण अभिलिखित और संधारित करना ।
7. आवश्यक पर्यवेक्षण और प्रशासकीय नियंत्रण रखना ।
8. अन्य ऐसे कृत्य संपादित करना जो मिशन उद्देश्यों की पूर्ति के लिय मिशन मुख्यालय द्वारा सोंपे जावें ।

dk; lde fdz; kll; u grq veyk %&

कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नानुसार भागों में बांटा गया है :-

1. जिला स्तर
2. मिली वाटरशेड स्तर(विकास खण्ड)
3. ग्राम स्तर

(1) ftyk Lrj

जिले स्तर पर मिशन के कार्यों हेतु कलेक्टर को मिशन लीडर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को नोडल अधिकारी घोषित किया गया है । जिले स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु परियोजना अधिकारी एवं तकनीकी सहायक अन्य विभागों से रखा जा सकता है । इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार स्टाफ की व्यवस्था मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत स्वयं स्थानीय परिस्थितियों एवं उपलब्ध अमले को दृष्टिगत रखकर करते है ।

(2) fodkl [k.M Lrj ij feyh okVj'kM

जल ग्रहण के कार्यों हेतु मिली वाटरशेड पर जो कि अधिकांशतः विकास खण्ड स्तर पर ही होता है । परियोजना क्रियान्वयन दल का गठन किया जाता है । इसमें परियोजना अधिकारी एवं अन्य सदस्य विभिन्न जिले विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी होते है । इन्हें इनके मूल विभाग द्वारा वेतन दिया जाता है ये अपने विभागीय कार्य के साथ-साथ जलग्रहण का कार्य भी संपादित करते हैं । इनके सहयोग के लिये 1500 हेक्टेयर पर एक समन्वयक की नियुक्ति की जाती है जिसका मानदेय स्वीकृत परियोजना लागत के प्रशासनिक मद से दिया जाता है ।

(3) xke i pk; r foLrkfjr i kuh jkdks l fefr

ग्राम स्तर पर चयनित/स्वीकृत माइक्रोवाटरशेड में आने वाले गांवों की संबंधित ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में वाटरशेड परियोजना का क्रियान्वयन विस्तारित पानी रोको समिति की सलाह एवं अनुसंशा के अनुरूप करती है । पानी रोको समिति का वर्तमान आकार/स्वरूप विस्तारित किया गया है एवं इसमें उपयोगकर्ता दल,स्व-सहायता समूह,महिला बचत समूह एवं साख समूहों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है । जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों नामतः पानी के संरक्षण व संवर्धन मृदा संरक्षण तथा वानस्पतिक विकास के लिये गतिधिवार उपयोगकर्ता दलों,आयमूलक गतिविधियों के लिये स्वावलंबन दलों तथा महिलाओं में बचत एवं साख को प्रोत्साहित करने के लिये महिला बचत व साख समूहों का गठन किया गया है । मिशन की वाटरशेड परियोजना के क्रियान्वयन के लिये ग्राम पंचायत विस्तारित पानी रोको समिति की सलाह एवं अनुसंशा पर उन समस्त कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगी जो 31.3.03 के पूर्व स्वीकृत वाटरशेड परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये ग्राम स्तरीय वाटरशेड समिति को सौंपे गये है । समिति में वाटरशेड कर्मी (सचिव)को प्रतिमाह पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है । यह भुगतान परियोजना लागत में किये जाने का प्रावधान है ।

राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन—की आयोजना ,क्रियान्वयन,मूल्यांकन तथा मानिट्रिंग हेतु जिला कलेक्टर द्वारा उनके मार्गदर्शन में मिशन के सुचारु क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार संस्थागत व्यवस्था अपनाई गई है :

1.1

1- राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के कार्यों को मूर्त रूप देने के लिये नीतिगत विषयों पर निर्णय विभिन्न स्तरों पर नियोजन तथा समन्वय,आयोजना व क्रियान्वयन तथा प्रगति अंकेक्षण, मूल्यांकन एवं मानिट्रिंग हेतु यह समिति पुनरीक्षित कर गठित की गई है ।

जिला स्तर पर वाटरशेड परियोजना का क्रियान्वयन जिला पंचायत के माध्यम से किया जायेगा । वाटरशेड योजना के प्रबंधन से संबंधित मामलों में जिला स्तर पर जिला पंचायत ही अंतिम निर्णायक होगी एवं उसके द्वारा लिये निर्णय सभी पर बंधनकारी होंगे । वाटरशेड परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये क्षेत्र चयन,कार्य योजनाओं की स्वीकृति,वित्तीय प्रबंधन,राशि जारी करना इत्यादि ऐसे समस्त कार्य एवं दायित्व जो वर्तमान में जिला स्तरीय वाटरशेड सलाहकार समिति द्वारा संपन्न किये जाते हैं, वे सभी जिला पंचायत सम्पादित किये जायेंगे ।

v/; {k – जिला पंचायत अध्यक्ष

l nL; – समस्त जिला पंचायत सदस्य

परियोजना क्रियान्वयन दल के परियोजना अधिकारी
कलेक्टर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

1.1 राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के अंतर्गत पहलुओं पर निर्णय व सलाह हेतु यह समिति गठित की गई है ।

l nL; {k कलेक्टर एवं मिशन लीडर इस समिति के अध्यक्ष होंगे । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सदस्य सचिव है । इस समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगे ।

1. संबंधित विभागों के जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी

ग्राम स्तर पर चयनित/स्वीकृत माइक्रोवाटरशेड में आने वाले गांवों की संबंधित ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में वाटरशेड परियोजना का क्रियान्वयन विस्तारित पानी रोको समिति की सलाह एवं अनुसंशा के अनुरूप करती है । पानी रोको समिति का वर्तमान आकार/स्वरूप विस्तारित किया गया है एवं इसमें उपयोगकर्ता दल,स्व-सहायता समूह,महिला बचत समूह एवं साख समूहों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है । जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यो नामतः पानी के संरक्षण व संवर्धन मृदा संरक्षण तथा वानस्पतिक विकास के लिये गतिधिवार उपयोगकर्ता दलों,आयमूलक गतिविधियों के लिये स्वावलंबन दलों तथा महिलाओं में बचत एवं साख को प्रोत्साहित करने के लिये महिला बचत व साख समूहों का गठन किया गया है । मिशन की वाटरशेड परियोजना के क्रियान्वयन के लिये ग्राम पंचायत विस्तारित पानी रोको समिति की सलाह एवं अनुसंशा पर उन समस्त कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगी जो 31.3.03 के पूर्व स्वीकृत वाटरशेड परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये ग्राम स्तरीय वाटरशेड समिति को सौंपे गये है ।

वर्तमान वाटरशेड परियोजना के क्रियान्वयन के लिये

1- वर्तमान वाटरशेड परियोजना के क्रियान्वयन के लिये

1. कौशल बुक
2. व्हाउचर फोल्डर
3. लेजर
4. चैक रजिस्टर
5. रजिस्ट्रेशन रजिस्टर

2- वर्तमान वाटरशेड परियोजना के क्रियान्वयन के लिये

1. कौशल बुक
2. व्हाउचर फोल्डर

3. वेतन (मानदेय)रजिस्टर
 4. चैक रजिस्टर
 5. अग्रिम रजिस्टर
 6. प्रशासनिक व्यय का रजिस्टर
 7. ट्रेनिंग रजिस्टर(ग्रामीण समाज,वाटरशेड सचिव इत्यादि)
 8. कम्यूनिटी आर्गेनाईजेशन रजिस्टर
 9. प्राक्कलन फोल्डर
 10. सदस्य रजिस्टर
 11. रिपोर्ट /प्रतिवेदन रजिस्टर
 12. मीटिंग रजिस्टर
- 3- okVj kM deVh/AMOY; wI h-½ }kjk I dkkfjr jftLVj dh I ph%&
- 1- कैंश बुक
 2. प्राप्तियां /व्यय रजिस्टर-परियोजना खाता
 3. व्हाउचर फोल्डर
 4. वेतन /मानदेय रजिस्टर
 5. चैक रजिस्टर-विकास खाता
 6. चैक रजिस्टर-परियोजना खाता
 7. योगदान रजिस्टर
 8. कार्य रजिस्टर
 9. निर्मित संरचनाओं (पूर्ण)का रजिस्टर
 10. अग्रिम रजिस्टर
 11. प्रशासनिक व्यय का रजिस्टर
 12. सहयोग (ग्रान्ट)रजिस्टर
 13. प्राक्कलन फोल्डर
 14. ग्रामीणों हेतु वाटरशेड कार्य रजिस्टर
 15. समूह / दल रजिस्टर(उपयोगकर्ता /स्वावलम्बन /महिला बचत समूह)
 16. रिपोर्ट /प्रतिवेदन रजिस्टर
 17. मीटिंग रजिस्टर

ग्राम पंचायत – सरपंच
समस्त पंच
पी.आई.ए.सदस्य
वाटरशेड कर्मी
सचिव

विस्तारित – उपयोगकर्ता दलों से मनोनीत सदस्य(प्रतिनिधि के रूप में) पानी रोको समिति स्वावलम्बन दलों से मनोनीत सदस्य(प्रतिनिधि के रूप में) महिला बचत एवं साख समूह से मनोनीत सदस्य(प्रतिनिधि के रूप में) महिला (1/3) प्रतिनिधियों द्वारा मनोनीत अध्यक्ष विस्तारित पानी रोको समिति ।

जिले में हरियाली गार्ड आधार पर केन्द्र शासन से नवीन स्वीकृत परियोजना क्रमांक 03 एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम अंतर्गत जिले में दो परियोजनाएँ मिली वाटरशेड दंगियापुरा विकास खण्ड मुरार एवं मिली वाटरशेड सभराई विकास खण्ड घाटीगांव में प्रारंभ की गई है जिनमें क्रमशः 04 एवं 05 कुल 09 माइक्रोवाटरशेडों का चयन किया गया है । उक्त दोनों परियोजनाएँ 2500–2500 हेक्टेयर भूमि का चयन कर राशि रूपये 150.00–150.00 लाख रूपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है । वर्ष 04–05 में प्रत्येक परियोजनावार 22.50–22.50 लाख की राशि प्रथम किस्त के रूप में अक्टूबर 04 में प्राप्त की जाकर परियोजनावार कार्य प्रारंभ कराये गये है ।

माननीय कलेक्टर महोदय/मिशन लीडर द्वारा माइक्रोवाटरशेड दंगियापुरा में गोकुल ग्राम जन समस्या निवारण शिविर दिनांक 20 जून 05 के दौरान वाटरशेड हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण का स्थल पर अनुमोदन दिया जाकर कार्य प्रारंभ कराया गया है ।

2. माह अगस्त 05 के आखिरी सप्ताह में परियोजना क्रमांक 04 विकास खण्ड भितरवार की स्वीकृति भारत शासन से प्राप्त हुई है जिसमें केन्द्रांश राशि रूपये 41.25 एवं राज्यांश राशि रूपये 3.75 लाख कुल 45.00 लाख की प्रथम किस्त प्राप्त हो चुकी है । शासन की ओर पूर्व में प्रेषित मिली वाटरशेड मोहनगढ़ की कार्य योजना का अनुमोदन जिला पंचायत की साधारण सभा बैठक दिनांक 29.9.05 में किया जा चुका है ! शीघ्र ही परियोजना अधिकारी की नियुक्ति एवं पी.आर.ए.आधार पर माइक्रोवाटरशेडों का चयन एवं कार्य योजना तैयार कर परियोजना प्रारंभ करने की कार्यवाही की जा रही है ।

इन्दिरा आवास योजना :-

- इन्दिरा आवास योजना
- शासन के निर्देशानुसार
- गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले पात्र हितग्राहियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराना।
- नवीन आवास 80 प्रतिशत 638 उन्नयन 20 प्रतिशत 319
- गरीबी के रेखा में नाम होना अनिवार्य है। पात्र हो तथा उसी ग्राम का निवासी हो।
- पूर्व में लाभान्वित ना हुआ हो, पात्रता की श्रेणी में आता हो।
- ग्रामसभा में आवेदन के माध्यम से चयन पश्चात ग्राम पंचायत के माध्यम से एकाउन्ट पेयी चैक द्वारा भुगतान किया जाता है।
- शासन द्वारा निर्धारित मानदण्ड
- नवीन आवास 80 प्रतिशत एव उन्नयन 20 प्रतिशत क्रमशः अनुदान राशि रूपये 25,000 /- एवं 10,000 /- है।

- ग्राम पंचायत के माध्यम से राशि संबंधित हितग्राही को दी जाती है।
- ग्रामसभा में सम्पर्क करें।
- निःशुल्क
- निरंक
- कोई निर्धारित प्रारूप नहीं सादे कागज पर आवेदन देने पर आवेदक को अपना नाम वल्लियत, निवासी, ग्राम , बी.पी.एल. आदि का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
- नहीं
- कोई नहीं
- ग्राम पंचायत जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत
- जिला पंचायत को प्राप्त राशि सीधे ग्राम पंचायत के हितग्राही मूलक खाते में जमा करा दी जाती है। वर्ष 2005–06 की प्रथम किश्त की सम्पूर्ण राशि भेज दी गयी है।

v/;k; & 14 ¼eSuqvy & 13½

**fj;k;rksa] vuqKki=ksa rFkk izkf/kdkjksa ds
izklrdrkZvksa ds IEcU/k esa fooj.k**

v/;k; & 15 ¼eSuqvy & 14½

d`R;ksa ds fuoZgu ds fy;s LFkkfir ekud @ fu;e

15-1 I Ei wZ xkeh. k jkst xkj ; kst uk %&

योजना का प्राथमिक उद्देश्य सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त और पूरक मजदूरी वाले टिकाऊ सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक परिसम्पत्तियों का सृजनकर अधोसंरचना विकास के माध्यम से रोजगार मुहैया कराना और उसके जरिये खाद्यान्न सुरक्षा मुहैया कराकर पोषण स्तर में सुधार लाना है यह योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है। केन्द्र और राज्य शासन से 75 –25 के अनुपात में नगद घटक उपलब्ध कराया जाता है। केन्द्र शासन द्वारा खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। कार्यक्रम को पंचायती राज संस्थाओं के लिये क्रियान्वित किया जाता है। योजनान्तर्गत प्राप्त आवंटन को ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों तथा जिला पंचायत के बीच 50:30:20 के अनुपात में वितरित किया जाता है। प्राप्त संशाधन (आवंटन) योजनान्तर्गत साधारणतया प्रथम एवं द्वितीय अंशिका में वार्षिक एलोगेशन के आधार पर केन्द्र एवं राज्य शासन से प्राप्त होते हैं। प्रत्येक पंचायत अपने हिस्से में प्राप्त होने वाली धनराशि + खाद्यान्न का उपयोग सक्षम संभा से वार्षिक कार्य योजना तैयार कर सुनिश्चित करती है।

ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाली धनराशि से 50 प्रतिशत धनराशि ग्राम के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मौहल्ले, मझरे, टोलों में विकास अधोसंरचना के तहत उपयोग किया जाना अनिवार्य है।

जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत को प्राप्त होने वाली धनराशि का कम से कम 22.5 प्रतिशत अंश गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के हितग्राहियों को आयसृजक गतिविधियों हेतु व्यय किया जाना अनिवार्य है।

bfllnj k vkokl ; kst uk

यह केन्द्र शासन एवं राज्य शासन की 75:25 की हिस्सेदारी से संचालित योजना है। इस योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीणों के इलाके के ग्रामीणों को जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, आवास सुविधा उपलब्ध कराना है।

इस योजना के अंतर्गत दो प्रकार के आवासों की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। 80 प्रतिशत के अंतर्गत नवीन आवास एवं 20 प्रतिशत के अंतर्गत आवास उन्नयन की सुविधा। कुल राशि का 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिये व्यय किया जाना अनिवार्य है। जिले के लक्ष्य के अनुपात में ग्राम पंचायतवार लक्ष्य निर्धारित कर जनपद पंचायतों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को संसूचित किये जाते हैं। हितग्राहियों का चयन ग्रामसभा द्वारा किया जाता है। कुल लक्ष्य का 3 प्रतिशत आवास ऐसे हितग्राहियों के सुरक्षित होते हैं।

जिन्हें आवासों की नितान्त आवश्यकता होती है, लेकिन लक्ष्यों के ग्राम पंचायतों में बट जाने से उन्हें आवास सुविधा उपलब्ध नहीं मिल पाती है। वर्ष 2005-06 से नवीन आवास की लागत सीमा रूपये 20,000/- के स्थान पर अब 25,000/- कर दी गई तथा आवास उन्नयन की लागत सीमा रूपये 10,000/- यथावत रखी गई है। वर्ष 2005-06 में निर्मित होने वाले आवासों (80 प्रतिशत, 20 प्रतिशत) में शौचालय का निर्माण अनिवार्य किया गया है साथ उन्हें चूल्हे की स्थापना भी अनिवार्य होगी। प्रथम किश्त की राशि जो रूपये 12,500/- एवं 5,000/- होगी, मेसे हितग्राही को आवास निर्माण के साथ शौचालय निर्माण भी कराना होगा। प्रथम किश्त के उपयोग का सत्यापन ग्राम पंचायत सरपंच, संबंधित बार्ड के पंच एवं संबंधित सहायक विकास विस्तार अधिकारी की तीन सदस्यी समिति द्वारा किया जायेगा। प्रथम किश्त के उपयोग के सत्यापन उपरान्त ही एकाउन्टपेयी चैक द्वारा द्वितीय किश्त का भुगतान हितग्राही को किया जायेगा। तत्पश्चात कार्य पूर्णित प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जनपद पंचायत को तथा वहाँ से जिला पंचायत को प्रेषित किये जायेंगे।

i/kkuea=h vkokl ; kstuk %

यह योजना पूर्णतः केन्द्र प्रवर्तित योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिये आवासों की कमी को कम करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई है। योजना का क्रियान्वयन इन्दिरा आवास योजना के तहत ही किया जायेगा अर्थात् ग्राम सभा द्वारा ही हितग्राहियों का चयन एवं अनुमोदन किया जायेगा। योजना में प्रति आवास लागत रूपये 20,000/-निर्धारित है इसके अंतर्गत केवल नवीन आवासों का ही निर्माण किया जायेगा तथा हितग्राहियों को चयन एवं चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता इन्दिरा आवास में दिये गये निर्देशानुसार ही दी जाती है। राशि नियमानुसार ग्राम पंचायत द्वारा आवास की प्रगति के आधार पर हितग्राही निर्गमित की जाती है।

15-1 & Lo.kl t; ah xke Lo jkstxkj ; kstuk ¼ , l -th, l -ok; -½

आई.आर.डी.पी. टायसेम ,डबकरा,उन्नत टूलकिट प्रदाय कार्यक्रम,गंगा कल्याण तथा जीवन धारा योजनाओं को समाहित कर भारत सरकार द्वारा नई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1अप्रैल 99 से प्रभावशील की है।

Lo l gk; rk l eq&

- 1— समूह गठन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को प्रचलित अनौपचारिक ऋण प्रणाली अर्थात् महाजन (साहूकार) के शोषण से छुटकारा दिलाने के साथ ग्रामीणों की ऋण जरूरतों को पूर्ण करने के लिये महाजन के समकक्ष निर्धन व्यक्तियों की एक अनौपचारिक बैंक भी स्थापित करना है। समूह गठन करते समय सदस्यों में परंपरागत तैयार कर सहयोग एवं विश्वास ककी भावना तथा भौगोलिक समीपता पर विशेष ध्यान आवश्यक है।
- 2— स्व सहायता समूह में सामान्यतः 10 से 20 व्यक्ति सदस्य के रूप में हो। एक परिवार से एक व्यक्ति तथा परिवार अनिवार्यतः प्रचलित बी.पी.एल. सर्वे सूची में दर्ज हो। लघु सिंचाई एवं विकलांग व्यक्तियों के समूह 5 व्यक्तियों के हो सकते हैं।
- 3— समूह के कम से कम 70 प्रतिशत बी.पी.एल. परिवार के सदस्य होना आवश्यक है।
- 4— समूह संचालन हेतु नियम होने चाहिये ताकि समूह लोकतांत्रिक पद्धति से समूह का संचालन हो सकें।
- 5— समूह में बैठक का एजेण्डा करने एवं निर्णय लेने की योग्यता होना आवश्यक है।
- 6— समूह के सदस्यों द्वारा नियमित मासिक बचकत करना आवश्यक जिसे समूह के पास राशिएकत्रित हो सकें।
- 7— बचत के द्वारा एकत्रित की गयी राशि को समूह द्वारा सामूहिक निर्णय से समूह के सदस्यों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण के लिये उपयोग में जाना चाहिये।
- 8— समूह द्वारा न्यूनतम आवश्यक अभिलेख का संधारण हो। समस्त निर्णय लोकतांत्रिक पद्धति से लेना आवश्यक ।
- 9— गठित किये जाने वाले कुल समूहों में कम से कम 50 प्रतिशत महिला समूह होना चाहिये।
- 10— आवश्यकतानुसार समूह सदस्यों को क्षमता का विकास करने हेतु प्रशिक्षण का प्रावधान।
- 11— समूह गठन के 6 माह पंचायत समूह की प्रथम ग्रेडिंग कराई जावेगी। प्रथम उत्तीर्ण करने के उपरांत समूहों कोजिला पंचायत एवं बैंक द्वारा सी.सी.लिमिट के रूप में रिवाल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया जावेगा। रिवाल्विंग फण्ड प्राप्त होने के 6 माह में या समूह की प्रणाली के आधार पर बैंक द्वारा चाहे जाने पर कम समय में द्वितीय ग्रेडिंग होगी।
- 12— द्वितीय ग्रेडिंग उत्तीर्ण होने पर समूह आर्थिक गतिविधि हेतु स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनातर्गत ऋण एवं अनुदान का पात्र होगा।

; kstuk ds i edk fcln&

- 1— योजना क्रियानावयन मे गुप/कलस्टर/प्रोजेक्ट एप्रोच अपनाना ।
- 2— योजनातर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में उपलब्ध संसाधन स्थानीय कौशल ओरबाजार की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये 4-5 मुख्य गतिविधियों का चयन करना।
- 3— ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बडी संख्या में छोटे-छोटे उद्यम स्थापित कर गरीबी उन्मूलन करना इस योजना का लक्ष्य है।
- 4— योजनातर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित परिवार ही सहायता हेतु पात्र।

- 5— योजनातर्गत उपलब्ध राशि में से अधिकतम 20 प्रतिशत अधोसंरचना विकास हेतु एवं शेष राशि आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण रिवाल्विंग फण्ड व अनुदान वितरण हेतु व्यय की जा सकती है।
- 6— सहायता प्राप्त प्रत्येक परिवार को उपयुक्त अवधि में गरीबी रेखा से उपर लाना इस योजना का उद्देश्य है।
- 7— योजनातर्गत सामान्य रेणी के हितग्राहियों को परियोजना लागत का 30प्रतिशत यपये 7500 के अध्यक्षीन रहते हुए अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के हितग्राहियों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत रूपये 10,000 कमे अध्यक्षीन रहते हुये ओर समूह को परियोजना लागत का 50प्रतिशत ओर प्रति सदस्य रूपये 10000 या अधिकतम रूपये 1.25 लाख के अध्यक्षीन रहते हुये अनुदान सीमा निर्धारित है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए अनुदान की कोई अधिक तक वित्तीय सीमा निर्धारित नही है।
- 8— योजनातर्गत अनुदान पात्रतानुसार उपलब्ध कराया जाना है जबकि ऋण आवश्यकतानुसार एक से अधिक वार उपलब्ध कराया जा सकता है।
- 9— योजनातर्गत सहायता हेतु चयनित हितग्राहियों को मूलभूत एवं तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है।
- 10— लाभान्वित हितग्राहियों में कम से कम 50प्रतिशत अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के, 40प्रतिशत महिलायें एवं 3 प्रतिशत विकलांग होंगे।
- 11— प्रत्येक विकास खण्ड में गठित समूहों में से 50प्रतिशत समूह केवल महिलाओं के होंगे।
- 12— योजना का क्रियान्वयन शासन से समय-समय पर प्राप्त गाईड लाइन्स अनुसार किया जावेगा।

v/;k; & 16 ¼eSuqvy & 15½
bysDV^akWfud :i esa miyC/k lwpuk;sa

16 mi yC/k lwpuk dk fooj.k , oamI dh byWkfud : i esa mi yC/krk %&

विभाग में विभिन्न प्रकार की सूचनायें उपलब्ध हैं।

- 1 विभाग का आय-व्यय विवरण
 - 2 बैलेंस सीट
 - 3 ऑडिट रिपोर्ट
 - 4 अनुदान का विवरण
 - 5 कार्यरत अमले का विवरण
 - 6 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नामांकरण एवं आयोजन का विवरण
 - 7 विभिन्न संचालित योजनाओं के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की जानकारी
- विभाग में समस्त आदेश एवं कार्यवाही कम्प्यूटर के माध्यम से ही जारी किये जा रहे हैं किन्तु इस हेतु व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने हेतु, डाटा संग्रहण इत्यादि हेतु विभाग द्वारा व्यवस्था की जावेगी एवं इसको जनपयोगी बनाया जावेगा।

v/;k; & 17 ¼eSuqvy & 16½

**lwpuk izklr djus ds fy;s ukxfjdksa dks miyC/k
lqfo/kkvksa dk fooj.k**

17-1 Information Act 2005/

| | | |
|--|----|--|
| पुस्तकालय | :- | बड़ी ग्राम पंचायतों में ग्रामीण पुस्तकालय स्थापित किये गये हैं। |
| नाटक / नुक्कड़ | :- | जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन अन्तर्गत नाटक / नुक्कड़ |
| अखबारों के द्वारा | :- | प्रेस विज्ञप्ति / जिला पंचायत मासिक ग्रामीण समाचार पत्र |
| प्रदर्शनी | :- | ग्वालियर व्यापार मेला आदि में आयोजित की जाती है। |
| सूचना पटल | :- | हाँ |
| अभिलेखों का निरीक्षण | :- | हाँ |
| दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था | :- | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर |
| उपलब्ध विभागीय मैनुअल | :- | उपलब्ध है। |
| लोक प्राधिकरण की वेबसाईट | :- | नहीं है। |
| अन्य प्रचार – प्रसार के साधन | :- | ग्रामसभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत की बैठकों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। |

v/;k; & 18 ¼eSuqvy & 17½

vU; mi;ksxh tkudkfj;ik

18-1

- प्रश्न :- जिला पंचायत में ग्रामों में विकास कार्यों हेतु कौन – कौन सी योजनायें संचालित हैं ?
उत्तर :- ग्रामों के विकास हेतु जिला पंचायत से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, 11 वां 12 वां वित्त आयोग, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान एवं गौण खनिज राजस्व मद से निर्माण कार्य कराये जाते हैं।
- प्रश्न :- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की आर्थिक उन्नति के लिये कौन – कौन सी योजनायें संचालित हैं ?
उत्तर :- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना।
- प्रश्न :- बी.पी.एल. आवासहीन परिवारों के लिये आवास निर्माण के लिये कौन – कौन सी योजनायें संचालित हैं ?
उत्तर :- इन्दिरा आवास, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना
- प्रश्न :- बी.पी.एल. आवास निर्माण स्वीकृत करने की क्या व्यवस्था है ?
उत्तर :- सम्बन्धित ग्रामसभा की बैठक में हितग्राहियों का चयन किया जाता है।
- प्रश्न :- बी.पी.एल. में नाम कैसे आता है ?
उत्तर :- प्रत्येक पाँच वर्ष में बी.पी.एल. का सर्वे किया जाता है। ग्रामसभा द्वारा सूची का अनुमोदन किया जाता है।
- प्रश्न :- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में कार्य कैसे स्वीकृत किये जाते हैं ?
उत्तर :- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में 50 प्रतिशत धनराशि के कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना ग्रामसभा की बैठक में तैयार कर स्वीकृत किये जाते हैं।
30 प्रतिशत राशि के निर्माण कार्य जिला पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना तैयार कर स्वीकृत किये जाते हैं।
- प्रश्न :- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में क्या निर्माण कार्य कराये जा सकते हैं ?
उत्तर :- साधारणतः पहुँचमार्ग, (मिट्टी + मुरम + डब्ल्यू बी एम), प्राथमिक विद्यालय भवन, उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन, ऑगनबाड़ी भवन आदि कार्य कराये जा सकते हैं।
- प्रश्न :- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में क्या कार्य नहीं कराये जा सकते हैं ?
उत्तर :- हाई स्कूल भवन, बड़े पुल पुलिया, धार्मिक महत्व के भवन, आर्चगेट आदिका निर्माण नहीं करा सकते हैं।
- प्रश्न :- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत खाद्यान्न की क्या व्यवस्था है ?
उत्तर :- केन्द्र शासन द्वारा योजनान्तर्गत मजदूरों को मजदूरी के एक भाग के रूप में खाद्यान्न राज्य शासन को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।
मजदूरी को मजदूरी के एक भाग के रूप में कम से कम 5 किग्रा. खाद्यान्न प्रदाय किया जाता है, जिसकी कीमत रुपये पाँच प्रति कि.ग्रा. रहती है।

18-1& i7u , oa mRrj A

- 1— प्रश्न&गरीबी रेखा की सूची में हमारा नाम कैसे जुड़ेगा ?
mRrj&' शासन के निर्देशों पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया जाता है। नियमानुसार पात्र पाये जाने पर बी.पी.एल. सूची में नाम दर्ज हो सकेगा।
- 2— i7u& एस.जी.एस.वाय में ऋण कैसे मिलेगा?
mRrj&योजनातर्गत ऋण प्राप्त करने के लिये सक्रिय स्व सहायता समूह सदस्य आवश्यक है। समूह का प्रथम/द्वितीय ग्रेडिंग उत्तीर्ण हो। आवश्यकतानुसार लघु एवं कुटीर उद्योग इकाई स्थापित के लिये बैंक के माध्यम से ऋण प्राप्त हो सकता है।
, dy __.k& निःशक्तजनों एवं विशेष परिस्थितियों में निर्धन परिवार के सदस्यों को नियमानुसार ऋण प्रदाय किया जा सकता है।
- 3— i7u& स्व सहायता समूह का उद्देश्य क्या है?
mRrj& स्व सहायता गड़न का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को प्रचलित अनौपचारिक ऋण प्रणाली अर्थात् महाजन (साहूकार) के शोषण से छुटकारा दिलाने के साथ ही ग्रामीणों की ऋण जरूरतों को पूर्ण करने के लिये महाजन के समकक्ष निर्धन व्यक्तियों की एक अनौपचारिक बैंक की स्थापना करना है।
- 4— i7u& स्व सहायता समूह गठन करने में कौन-कौन सी आवश्यकताये पूर्ण करना होगी?
mRrj&स्व सहायता समूह गठन में निम्न बिन्दुओं की पूर्ति हेतु अपेक्षाये की जाती है।
 1. समूह के सदस्यों मे सामाजिक आर्थिक जातिगन आयुगन आदि की संमानता हो।
 2. समूह में सामान्यतः 10 से 20 व्यक्ति सदस्य हो। एक परिवार से एक व्यक्ति तथा परिवार अनिवार्यतः प्रचलित बी.पी.एल. सर्वे सूची में दर्ज हो, यदि बी.पी.एल. के सदस्य नहीं मिलते है तो कम से कम 70 प्रतिशत सदस्य बी.पी.एल के होने चाहिये। समूह के नियम बनाकर समूह की नियमित बचत ,नियमित बैठक,बचत खाता निर्माण लेखा पंजी का संधारण करे हुए सदस्यों का परस्पर व्यवहार से लोकतांत्रिक पद्धति निर्णलय लेने की क्षमता होनी चाहिये।
- 4— शासन के निर्देशों सहित नियमों का पालन करते हुये सक्रिय समूहों की 6 माह पश्चात प्रथम ग्रेडिंग कराई जावेगी। प्रथम ग्रेडिंग उत्तीर्ण होने के पंचायत जिला पंचायत एवं बैंक शाखा व्दारा सी.सी.लिमिट के रूप में रिवाल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया जावेगा।
- 5— रिवाल्विंग फण्ड प्राप्त होने के 6 माह में या बैंक व्दारा चाहे जाने पर कम समय में भी द्वितीय ग्रेडिंग होगी।
- 6— द्वितीय ग्रेडिंग उत्तीर्ण होने पर समूह को योजनातर्गत आर्थिक गतिविधि हेतु ऋण एवं अनुदान हेतु पात्र होगा।

18-3

- 1 प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम व विवरण :- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ।
- 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- शासन से संबंधित ।
- 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य :- स्वसहायता समूह सदस्यों को समूह गठन से लेकर कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण देकर आर्थिक गतिविधियों में ऋण एवं अनुदान राशि उपलब्ध कराना ।
- 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में) :-8.27 लाख
- 5 लाभार्थी की पात्रता :- सक्रिय स्व सहायता समूह का सदस्य हो । समूह प्रथम/द्वितीय ग्रेडिंग में उत्तीर्ण हो ।
- 6 पूर्वापेक्षायें :- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार सूची में दर्ज हितग्राही हो, आयु 18वर्ष से 60वर्ष, डिफाल्टर न हो । सक्रिय समूह का सदस्य हो ।
- 7 अनुदान/सहायता :-अनुदान (प्रशिक्षण पर व्यय किया जावेगा) 100 प्रतिशत ।
- 8 दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण :- अनुदान (प्रशिक्षण पर व्यय किया जावेगा) विवरण ।
- 9 अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया :- प्रशिक्षक/प्रशिक्षण संस्था को देय है ।
- 10 आवेदन करने के लिये कहाँ/किसेसे सम्पर्क करें :- विकास खण्ड स्तर पर- ए.डी.ई.ओ /सी.ई.ओ.
- 11 आवेदन शुल्क :- निःशुल्क
- 12 अन्य शुल्क :- निःशुल्क
- 13 आवेदन पत्र का प्रारूप :- साधारण
- 14 संलग्नों की सूची :- संबंधित के फोटो एस.एच.जी. का आय व्यय पत्रक बैठक कार्यवाही विवरण अनुबंध पत्र, शपथ पत्र प्रोजेक्ट ।
- 15 संलग्नों का प्रारूप :- संलग्न प्रपत्र
- 16 आवेदन करने की प्रक्रिया :- ग्राम पंचायत/सहा.वि.वि.अधि./विकास खंड कार्यालय में ।
- 17 चयन प्रक्रिया :- ग्राम सभा द्वारा हितग्राहियों का चयन ।
- 18 प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सारिणी :- चयनित गतिविधि अनुसार वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाती है ।
- 19 प्रशिक्षण के समय के बारे में आवेदक को सूचित करने का तरीका :-ग्राम पंचायत/सहा.वि.वि.अधिकारी/विकास खण्ड अधिकारी द्वारा ।
- 20 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिये लोक प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले कार्य :- बैंक का आयोजन ।
- 21 विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर, ब्लाक स्तर इत्यादि पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थियों की सूची तथा अन्य विवरण :- ग्राम पंचायत (विकास खण्ड कार्यालय में)

I puk dk vf/kdkj vf/kfu; e] 2005 प्रपत्र—एक
¼I puk dk vf/kdkj vf/kfu; e] 2005 dh /kkjk ¼6½ ¼1½ ds varxir vkonu i = dk çk: i ½

1. आवेदक का नाम
2. पूरा पता/ई-मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है
3. दूरभाष क्रमांक
4. आवेदन देने का दिनांक
5. कार्यालय का नाम
6. चाही गई जानकारी का विवरण
7. क्या चाहते हैं नकल/निरीक्षण/रिकार्ड निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना
8. आवेदक के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस फी –रूपये 10/– नगद/स्टॉम्प (वीपीएल सूची के सदस्य को देय नहीं)
रसीद क्र. एवं दिनांक
9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं— हां/नहीं
यदि हां तो वी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक

हस्ताक्षर
(आवेदनकर्ता)

टीप:- यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रूपये 10/– का नान ज्यूडिशियल स्टाम्प चस्पा करते हुए स्वयं का पता अंकित करते हुए आवश्यक राशि का डाक टिकिट लगा लिफाफा संलग्न प्रेषित करें।

i korh

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक
 2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक
 3. संबंधित शाखा/ अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी
- (लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

पदनाम (रबर सील)

दिनांक

Information Act 2005

प्रपत्र-दो

Information Act 2005

1. आवेदक का नाम /पता
2. आवेदनकर्ता का संदर्भ
3. विषय/विवरण
4. उपस्थिति दिनांक

विषयांतर्गत सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन में दिनांक के संदर्भ में चाही गई जानकारी हेतु आप निर्धारित शुल्क दिनांक तक जमा कर दस्तावेज/नकल/नमूना दिनांक तक प्राप्त कर लें। यदि दस्तावेज डाक द्वारा चाहते हैं तो उसके लिये रजिस्टर्ड/यूपीसी/डाक व्यय सहित, स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा साथ में संलग्न करें।

2. शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-

| वांछित जानकारी का प्रकार | पृष्ठ संख्या/नग/मात्रा | दर | राशि (कॉलम 2 गुणा 3) |
|--|------------------------|----|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| कार्य संबंधी दस्तावेज जैसे नक्शा/प्रशासकीय स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति/अनुबंध/इस्टीमेट/आदेश, टीप इत्यादि की प्राप्ति वित्तीय/लेखा संबंधी दस्तावेज इत्यादि सैम्पल अन्य | | | |

सूचना अधिकारी / सहायक सूचना अधिकारी
(रबर सील)

टीप:- डाक से आवेदन प्राप्त होने पर प्रपत्र-दो डाक से प्रेषित किया जाएगा।

1. प्रपत्र-दो का प्रारंभिक क्रमांक 2005
2. प्रपत्र-तीन का प्रारंभिक क्रमांक 2005

प्रपत्र-तीन

द्वारा-विभाग का नाम/पता

प्रति,

.....
.....
.....

विषय:-

.....

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6) की उपधारा (3) के अंतर्गत श्री से प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक को प्राप्त हुआ परीक्षण उपरांत वस्तुस्थिति आपके विभाग से संबंधित होने के कारण निर्धारित समयावधि (पांच कार्य दिवस) में आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अंतरित किया जा रहा है।

संलग्न - मूल आवेदन

लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी
(रबर सील)

प्रतिलिपि:-

श्री पिता श्री को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक कार्यालय विभाग से संबंधित होने के कारण दिनांक को कार्यालय/विभाग को अंतरित कर दिया गया है।

अतः कृपया आगामी कार्यवाही हेतु उक्त कार्यालय/विभाग से संपर्क करने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर

1 पक दक व/कक व/कफु; ए] 2005
1 ए; & 1 क. क

प्रपत्र—चार

1 पक दस व/कक व/कफु; ए 2005 द/ /कक 6 दस वरख

- 1 आवेदन प्राप्त की दिनांक
- 2 आवेदन प्राप्त होने पर प्राप्तकर्ता अधिकारी/कर्मचारी अधिकतम दूसरे कार्य दिवस तक संबंधित शाखा को भेज देगा।
करेंगे।
- 3 संबंधित शाखा प्रभारी ऐसे प्राप्त आवेदन से संबंधित अभिलेख अधिकतम तीन कार्यदिवस में लोक सूचना अधिकारी को अपनी टीप सहित प्रेषित करेगा कि ऐसा अभिलेख धारा 8 के अंतर्गत वर्जित तो नहीं है।
शाखा प्रभारी यदि पता है कि आवेदन उसकी शाखा से संबंधित न होकर या अन्यत्र शाखा या विभाग से संबंधित है तब ऐसी दशा में अधिकतम दूसरे कार्य दिवस तक आवेदन लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी को भेज देगा।
- 4 लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी ऐसा अभिलेख प्राप्त होने पर अधिकतम तीन कार्य दिवसों में आवेदक को सूचना/प्रतिलिपि/सेम्पल शुल्क अदा करने के लिये निर्धारित प्रारूप में सूचित करेंगे।
- 5 लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी शुल्क की पूर्ति होने के पश्चात आवेदन की दिनांक से अधिकतम 30 दिवस की समयावधि में वांछित दस्तावेज/नकल/निरीक्षण/अवलोकन की कार्यवाही कर आवेदन के हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे।
यदि वांछित अभिलेख अन्य कार्यालय/विभाग से संबंधित है तो लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी निर्धारित प्रारूप में मूल आवेदन संबंधित कार्यालय/विभाग को आवेदन की दिनांक से 5 कार्यदिवस में अंतरित कर देंगे। साथ ही आवेदन कर्ता को निर्धारित प्रारूप में अंतरण की सूचना देंगे।

